कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

क्रमांक/पंजी./गृ.नि./संशो./2010/4458/25 भोपाल, दिनांक : 09.11.2010

"आदेश"

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(2) के अंतर्गत)

म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12(2) के अंतर्गत ......राजर्षि...... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के पंजीयन क्रमांक/डी.आर.बी./..318..... दिनांक ..08-02-83..... (जिसे आगे 'केवल' संस्था कहा गया है) को अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत इस कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक/पंजी./गृह नि/संशो./2010/3286/..25.......... दिनांक 27.08.10 के द्वारा संस्था की पंजीकृत उपविधि क्रमांक 43(1) एवं 43(2) में संलग्न परिशिष्टानुसार प्रस्तावित संशोधन अंगीकृत/अनुमोदित कर पंजीकृत किये जाने हेतु अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार 60 दिवस की समयावधि में संशोधन की कार्यवाही की जाकर उक्त उपविधियों में संशोधन पंजीकृत कराने हेतु संशोधन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। तदानुसार संस्था ने निर्धारित समयावधि में उक्तानुसार संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं। संस्था उक्तानुसार संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत/अंगीकृत करने में असमर्थ रही है तथा तत्संबंधी कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की है।

अतः मैं के.के. द्विवेदी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, जिला भोपाल, अधिनियम की धारा-12(2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26.04.09 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्था की वर्तमान पंजीकृत उपविधि क्रमांक 43(1) एवं 43(2) के स्थान पर संलग्न परिशिष्टानुसार उपविधि क्रमांक 43(1) एवं 43(2) संशोधित एवं पंजीकृत कर प्रतिस्थापित करता हूँ। संशोधित एवं पंजीकृत उपविधि क्रमांक 43(1) एवं 43(2) की प्रति संस्था अभिलेख में सुरक्षित रखने हेतु संलग्न प्रेषित है।

यह ~~कारण बताओ सूचना पत्र~~ आदेश आज दिनांक ..09/11/10.... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(के. के. द्विवेदी)
उप पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

B

"प्रमाण-पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि ......राजर्षि...... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक/डी.आर.बी./...318...... दिनांक ...08/02/83...... की पूर्व पंजीकृत उपविधि क्रमांक 43(1) एवं 43(2) के स्थान पर अनुमोदित, संशोधित एवं पंजीकृत उपविधि क्रमांक 43(1) एवं 43(2) प्रतिस्थापित की गई है जो संस्था की पंजीकृत उपविधि होगी।

(के. के. द्विवेदी)
उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

संलग्न : उपरोक्तानुसार
अनुमोदित संशोधित एवं
पंजीकृत उपविधियां

क्रमांक/पंजी./गृ.नि./संशो./2010/4458/ 25 — भोपाल, दिनांक : 09.11.2010

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, ...राजर्षि...... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल की ओर पालनार्थ एवं उक्तानुसार संशोधित एवं पंजीकृत उपविधियाँ संस्था अभिलेख में सुरक्षित रखने हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, भोपाल संभाग, भोपाल।

की ओर से आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की उपविधि में संशोधन

संस्था का नाम ......राजर्षि...... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : डी.आर.बी./......318...... दिनांक ....08-02-83..

क्र.	उपविधि क्र.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1	43(1)	**भूखण्ड/भवन का हस्तांतरणः-** कोई भी सदस्य संस्था से प्राप्त भूखण्ड/भवन का 7 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करेगा किन्तु उसमें कोई ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड/भवन को बंधक रखना शामिल नहीं होगा। सदस्य को भूखण्ड प्राप्त करने एवं भवन निर्मित करने हेतु समस्त आवश्यक अनुज्ञायें प्राप्त करने के तीन वर्ष के अंदर भवन निर्मित करना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश तीन वर्ष में भवन निर्मित किया जाना संभव न हो तो सदस्य को भवन द्वारा लिखित आवेदन किये जाने पर प्रबंध समिति सदस्य को भवन निर्माण हेतु अधिकतम दो बार 1-1 वर्ष का समय स्वीकृत कर सकेगी। यदि सदस्य तीन वर्ष की अवधि में अथवा प्रबंध समिति से अनुमति प्राप्त कर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं कर सका तो भूखण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित हो जायेगा और सदस्य को इन उपविधियों के अनुसार उसे भूखण्ड के लिये जमा की गई राशि मय ब्याज के वापस की जावेगी। परन्तु संस्था के जिन सदस्यों को इन उपविधियों के प्रभावशाली होने के पूर्व भूखंड/भवन आदि हस्तांतरित कर दिये है, वे भूखण्ड/भवन हस्तांतरण के समय प्रवृत्त उपविधियों/हस्तांतरण दस्तावेज की शर्तो से ही नियंत्रित होंगे और भविष्य में होने वाले हस्तांतरण इस उपविधि से नियंत्रित होंगे।	**भूखण्ड/भवन के अंतरण दस्तावेज/पंजीयन में शर्त का समावेशः-** संस्था द्वारा सदस्य को भूखण्ड/भवन के अंतरण करने हेतु पंजीयन दस्तावेज में निम्नलिखित शर्तों का समावेश किया जाना अनिवार्य होगाः- 1. सदस्य को भूखण्ड अंतरित हो जाने एवं आधिपत्य प्राप्त करने के 8 वर्ष के अन्दर भवन निर्माण करना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य द्वारा 8 वर्ष के अन्दर भवन निर्माण नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात् प्रत्येक 5 वर्ष के लिए भूखण्ड के तत्समय कलेक्टर गाईड लाईन मूल्य के अनुसार निर्धारित दर के एक प्रतिशत के बराबर राशि संस्था में कॉलोनी रख-रखाव निधि में जमा करने के पश्चात् भवन निर्माण की अनुमति संस्था द्वारा दी जा सकेगी। 2. कोई भी सदस्य संस्था से प्राप्त भूखण्ड को किसी अन्य को 3 वर्ष तक अंतरित नहीं कर सकेगा। यदि कोई सदस्य 3 वर्ष बाद अंतरण करना चाहे तो उसे संस्था को पंजीयन विलेख में उल्लेखित मूल्य, जो कि अंतरण वर्ष की कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार निर्धारित दर से कम न होगा, के 2 प्रतिशत के बराबर अंतरण शुल्क का भुगतान संस्था की रख-रखाव निधि में करना होगा, किन्तु किसी वित्तदायी संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु भूखण्ड/भवन को बंधक रखना एवं वसीयत/उत्तराधिकार से प्राप्त अंतरण शामिल नहीं होगा। यदि राशि जमा करने के दिनांक से एक माह में संस्था द्वारा अंतरण की अनुमति दी जाती है तो यह माना जाकर कि संस्था को इस अंतरण में कोई आपत्ति नहीं है, संस्था की स्वमेव अनुमति मानी जावेगी। 3. सदस्य को भूखण्ड/भवन अंतरण/पंजीयन के पश्चात् संस्था	गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के सदस्य को उसके भूखण्ड को परिस्थितिवश अंतरण करने पर समुचित राशि दिलाने के उद्देश्य से।

उप-पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

D 6

			अथवा मेन्टेनेन्स समिति द्वारा कॉलोनी के लिये निर्धारित मेन्टेनेन्स राशि की मांग की जाती है, तो उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्ड राशि सहित वसूली योगी होगा। 4. किन्तु ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाऐं जिन्हें शासन से लीज पर भूमि प्राप्त हुई है या धारा 20 की छूट प्राप्त हुई है उन संस्थाओं के लिये शासन द्वारा जारी की गई शर्तें लागू होगी।	
2	43(2)	**भूखण्ड हस्तांतरण (पंजीयन) दस्तावेज में शर्त का समावेशः-** संस्था द्वारा सदस्य को भूखण्ड हस्तांतरित करते समय हस्तांतरण/पंजीयन दस्तावेज में निम्नलिखित शर्तों का समावेश किया जाना अनिवार्य होगा- 1. यह कि सदस्य 7 वर्ष तक भूखण्ड/उस पर बनाये गये भवन का हस्तांतरण नहीं करेगा। 2. यदि 7 वर्ष की अवधि के अंदर सदस्य को भूखण्ड/भवन के हस्तांतरण की आवश्यकता पड़े तो वह भूखण्ड को संस्था के पक्ष में समर्पित कर भूखण्ड के लिये जमा की गई धनराशि वापस प्राप्त कर सकेगा। राशि वापस करते समय डाकघर बचत दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जावेगा। 3. सदस्य को भूखण्ड प्राप्ति एवं भवन निर्मित करने हेतु समस्त आवश्यक अनुज्ञायें प्राप्त करने के 3 वर्ष के अंदर भवन निर्माण कराना अनिवार्य होगा। सदस्य के लिखित आवेदन पर संस्था द्वारा यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। तीन वर्ष की अवधि में संस्था द्वारा लिखित अनुमति दिए जाने पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में भवन निर्माण न होने पर भूखण्उ संस्था के पक्ष में समर्पित माना जावेगा। भूखण्ड का समर्पण होने पर सदस्य द्वारा भूखण्ड के लिए संस्था को दी गई भूखण्ड की क्रय व विकास राशि पर डाकघर बचत खाता की ब्याज दर पर ब्याज की राशि वापस प्राप्त कर सकेगा। परन्तु इन उपविधियों के प्रभावशाली होने के पूर्व जिन सदस्यों के पक्ष में हस्तांतरण दस्तावेज निष्पादित कर दिए गए हों वे पूर्व में निष्पादित दस्तावेजों की शर्तों से ही नियंत्रित होंगे।	**उपविधि क्रमांक-43(1) के अंतर्गत प्राप्त रख-रखाव राशि का व्ययः-** संस्था को उपविधि क्रमांक-43(1) के अंतर्गत प्राप्त राशि का व्यय निम्नानुसार किया जा सकेगाः- 1. सदस्यों से चैक अथवा ड्राफ्ट से ही राशि प्राप्त करना होगी। 2. प्राप्त राशि कॉलोनी रख-रखाव निधि में बैंक के पृथक खाते में जमा करना होगा। 3. प्राप्त राशि का व्यय कॉलोनी के रख-रखाव के लिये ही किया जा सकेगा। 4. कॉलोनी के रख-रखाव में व्यय करने के लिए तैयार किये गये एस्टीमेट को संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जिसकी पुष्टि आगामी आमसभा में करना होगा। "उप विधि संशोधन स्वीकृत एवं पंजीकृत" उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल	उपविधि क्रमांक-43(1) में प्राप्त रख - रखाव राशि के व्यय हेतु प्रक्रिया बनाने के उद्देश्य से।

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला भोपाल

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला – भोपाल

आदेश / सूचना पत्र

क्रमांक/गृ. नि./संशोधन/90-91/ 892 भोपाल दिनांक 21/2/91

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960) 1961 का 17 वां (की धारा 12 की उपधारा " 1 " के अन्तंगत ।)

अध्यक्ष,

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

पंजीयन क्रमांक/डी. आर. बी./ 318 दिनांक 8-2-83

(आगे जिसे केवल समिति कहा गया है।) की पंजीवद्ध उपविधियों के परीक्षण में पाया गया है कि उपविधियों के कतिपय प्रावधान (मध्य-प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960) आगे जिसे केवल "अधिनियम" कहा गया है। (के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तथा कतिपय नवीन प्रावधान उपविधियों में प्रतिस्थापित किया जाना समिति के हित में आवश्यक है।

और चूंकि समिति की उपविधियों के प्रावधान अधिनियम व नियमों तथा शासन को घोषित नवीन आवास नीति के अनुरूप किया जाना समिति एवं उसके सदस्यों के हित में आवश्यक एवं बांछनीय है, अतः अधिनियम की धारा 12 की उपधारा "1" के अन्तंगत मध्य-प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5/6/79/1/पन्द्रह/ 1 दिनांक 27-8-79 के अन्तंगत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं आर. के. दुवे उपपंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला भोपाल आदेश देता हूं कि दिनांक 23-3-91 तक संलग्न संशोधित गृह निर्माण सहकारी संस्था की उपविधियां स्वीकार कर इस कार्यालय को भेजें। यदि समिति को प्रस्तावित संशोधित उपविधियां अंगीकृत करने में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 8-3-91 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्देशित कार्यवाही निर्धारित दिनांक तक न होने तथा निर्धारित दिनांक को उपस्थित न होने पर यह मान लिया जावेगा कि समिति को प्रस्तावित संशोधन के संवंध में कुछ नहीं कहना है एवं उन्हें स्वीकार हैं, मेरे द्वारा अधिनियम की धारा 12वीं उप धारा "2" के अन्तंगत आदेश पारित कर प्रस्तावित संशोधित उप-विधियां पंजोकृत कर दी जावेगी।

उपरोक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 21-2-91 को पारित।

संलग्न :– प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप 3 पेज

आर० के० दुबे
उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें
जिला भोपाल (म. प्र.)

क्रमांक/गृ. नि./संशोधन/90-91/ भोपाल दिनांक

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें
जिला भोपाल (म.प्र.)

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

राजर्षि ....गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल..................की प्रस्तावित/पंजीकृत संशोधित उपविधियां

अनु.	उपविधि क्र.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	संशोधन के कारण
1	2	3	4	5
1.	2	————————	2–13. "विनिर्दिष्ट पद" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष । 2–14. "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है सोसायटी का ऐसा कोई सदस्य जो इस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करने के लिये साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किया गया हो ।	सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन के कारण ।
2.	24 (1)	इन उपविधियों के अनुसार प्रबंध समिति का चुनाव करना ।	24 (1) इन उपविधियों के अनुसार प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करना ।	——,,——
3.	29.	प्रबंध समिति :– संस्था की एक प्रबंध समिति होगी । प्रबंध समिति में कुल सदस्य 11 होंगे जिनमें से 8 सदस्य आम सभा द्वारा निर्वाचित किये जावेंगे । इनमें से एक स्थान महिला के लिये आरक्षित रहेगा । तीन मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य पंजीयक का प्रतिनिधि, एक सदस्य जिले के कलेक्टर का प्रतिनिधि जो नायब तहसीलदार स्तर से कम का न हो तथा तीसरा सदस्य आवास संघ का प्रतिनिधि जिसे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक द्वारा मनोनीत किया जावे, होगा । प्रबंध समिति के लिये राज्य शासन साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के लिये एक–एक पद आरक्षित कर सकेगा।	29. प्रबन्ध समिति :– संस्था की एक प्रबंध समिति होगी । प्रबंध समिति में कुल सदस्य 11 (ग्यारह) होंगे, जिनमें से आठ सदस्य आमसभा द्वारा निर्वाचित किये जावेंगे । इसमें से दो स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे । तीन मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य, पंजीयक का प्रतिनिधि, एक सदस्य जिले के कलेक्टर का प्रतिनिधि जो नायब तहसीलदार स्तर से कम का न हो तथा तीसरा सदस्य आवास संघ का प्रतिनिधि जिसे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक द्वारा मनोनीत किया जावे, होगा । अनुसूचित जाति एवं	——,,——

1	2	3	4	5
			अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (3) के अनुसार आवश्यक स्थान आरक्षित रहेंगे ।	
4.	29–5	प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबंध समिति अपने में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी ।	29–5 प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबंध समिति अपने में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी परन्तु ऐसा निर्वाचित व्यक्ति किसी अन्य सोसायटी में विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा । अन्य सोसायटी में विनिर्दिष्ट पद धारण करने की स्थिति में इस संस्था में विनिर्दिष्ट पद के लिये अयोग्य होगा ।	सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन के कारण ।
5.	29–8	प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा । पांच वर्ष की अवधि की गणना प्रबंध समिति की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी ।	29–8 प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । तीन वर्षों की अवधि की गणना प्रबंध समिति की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी ।	——,,——
6.	29–10	कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पद को दो से अधिक निर्वाचित कार्यकाल अथवा 11 वर्ष की लगातार कालावधि के लिये, इनमें से जो भी कम हो धारण नहीं करेगा ।	29-10 कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पद को लगातार दो क्रमवर्ती निर्वाचित कार्यकाल अथवा सात वर्ष की लगातार कालावधि तक, इनमें से जो भी कम हो, धारण नहीं करेगा । इस कालावधि की गणना में सहयोजन या नाम निर्देशन या दोनों की कालावधि यदि कोई हो, को भी सम्मिलित किया जावेगा । परन्तु किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पद पर तब तक नाम निर्देशित या पुनर्निर्वाचित नहीं किया जावेगा जब तक कि पूरे कार्यकाल की बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो ।	अधिनियम में संशोधन के कारण

1	2	3	4	5
			स्पष्टीकरण :- इस उपविधि के प्रयोजन के लिये, यदि किसी विनिर्दिष्ट पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे पद को द्वितीय कार्यकाल के दौरान किसी भी समय त्याग देता है तो उसके द्वारा त्याग-पत्र दे दिये जाने पर उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने सात वर्ष की कालावधि पूर्ण कर ली है ।	
7.	30 (1)	अन्य सहकारी संस्थाये जिनसे कि संस्था सम्बद्ध हो, में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रबंध समिति अपने में से ही करेगी तथा उक्त बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा । ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यकाल उस संस्था की प्रबंध समिति के कार्यकाल के समरूप होगा । जिसके लिये प्रतिनिधि चुना गया है ।	30 (1) उपविधि क्रमांक 24 के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधि को समस्त प्रयोजनों के लिये इस समिति का निर्वाचित सदस्य समझा जावेगा । ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यकाल संस्था की प्रबंध समिति के कार्यकाल के समरूप होगा ।	अधिनियम में संशोधन के कारण
8.	29-11	——	29-11 कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिये अर्हित नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारण करने से अयोग्य हो जावेगा । यदि वह संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित हो गया है ।	—,,—
9.	36.	बैठक की कार्यसूची, समय तारीख तथा स्थान की सूचना जो अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी पांच दिन पहले जारी की जावेगी । सूचना पत्र व्यक्तिशः तामील कराया जावेगा अथवा नामांकित सदस्य के कार्यालय पर व अशासकीय सदस्य के निवास स्थान पर इसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधी बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जावेगा यदि किसी मामले का शीघ्र निर्णय करना हो और प्रबंध समिति की बैठक के लिये पर्याप्त समय	36 बैठक की कार्यसूची समय, तारीख तथा स्थान की सूचना जो अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित हो बैठक के पांच दिन पहले जारी की जावेगी । सूचना पत्र व्यक्तिशः कराया जावेगा अथवा नामांकित सदस्य के कार्यालय पर व अशासकीय सदस्य के निवास स्थान पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधी बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जावेगा ।	चलित बैठक द्वारा निर्णय लेने के प्रावधान को विलोपित करने हेतु ।

1	2	3	4	5
		न हो तथा उन सब मामलों में जिनके संबंध में प्रबंध समिति में वैसा ठहराव किया जाय संस्था का प्रबंधक संबंधित कागजात प्रबंध समिति के उन 'सदस्यों के पास भेजकर' जो उस समय संस्था के मुख्यालय पर हो, और जिनमें अध्यक्ष तथा कम से कम चार अन्य सदस्य हों, मत प्राप्त करेगा और सर्वसम्मति से जो बात निर्णित हो उसका पालन करेगा चार अन्य सदस्यों में से, कम से कम एक सामांकित सदस्य अवश्य होना चाहिए। यदि सदस्यों में मतभेद हो तो केवल बहुमत से मामले का निर्णय न करते हुए वह प्रबंध समिति की नियमित बैठक में विचारार्थ रखा जावेगा। इस प्रकार कागज घुमाकर निर्णय किये हुए मामले की सूचना के लिये प्रबंध समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रबंध समिति की बैठक संस्था मुख्यालय पर ही आयोजित की जावेगी।		
10.	34-1-22	————	संस्था द्वारा भूमि के अर्जन, भूखण्डों का हस्तांतरण भवन/प्रकोष्ठों के हस्तांतरण तथा अन्य संस्था से उधार प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों के निष्पादन में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा इसके अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश का पालन करना।	यह नया प्रावधान संस्था द्वारा स्टाम्प ड्यूटी अपवंचन को रोकने के लिये।
11.	34-1-23	————	प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में संस्था के सदस्यों की वरीयता क्रम की प्रमाणित सूची का प्रकाशन करना तथा उस सूची में सदस्य को आवंटित भूखण्ड तथा सदस्य के पक्ष में रजिस्ट्री संबंधी विवरण (दिनांक तथा भूखण्ड का आकार प्रकार) भी दर्शाया जावेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रकाशन संस्था के कार्यालय, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यालय जिले के उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें के कार्यालय विकास खण्ड कार्यालय एवं वित्तदायी संस्था के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया जावेगा।	यह नया प्रावधान भूखंड आवंटन में अनियमितता को रोकने के लिये।

1	2	3	4	5
12.	34-1-24	———	लोकहित में विकास कार्यक्रम व सदस्यों के हित में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।	सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन के कारण।
13.	34-1-25	———	पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 49-डी के अन्तर्गत विनियम बनाने संबंधी दिये गये निर्देशों का पालन।	—,,—
14.	43-2-2	यदि 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सदस्य को भूखण्ड/भवन के हस्तांतरण की आवश्यकता पड़े तो वह भूखण्ड को संस्था के पक्ष में समर्पितकर भूखण्ड के लिये जमा की गई धनराशि वापस प्राप्त कर सकेगा। राशि वापस करते समय डाकघर बचत दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जावेगा।	यदि 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सदस्य को भूखण्ड/भवन के हस्तांतरण की आवश्यकता पड़े तो वह भूखण्ड को संस्था के पक्ष में समर्पित कर भूखण्ड के लिये जमा की गई धनराशि वापस प्राप्त कर सकेगा। राशि वापस करते समय डाकघर बचत दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जावेगा। परन्तु यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से भूखण्ड/भवन अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरण करना आवश्यक हो तो ऐसे हस्तांतरण की पूर्वानुमति जिले के उप/सहायक पंजीयक से प्राप्त करेगा।	नया प्रावधान भूखंड/मकान का हस्तांतरण आवंटन विशेष परिस्थिति में अनिवार्य होने पर।

उपपंजीयक
सहकारी संस्थायें जिला भोपाल

भोपाल प्लास्टिक एवं प्रिंटिंग उद्योग सहकारी समिति मर्यादित
पुल बोगदा, रायसेन रोड, भोपाल-23. फोन : 63395 पी. पी.

गृह निर्माण सहकारी समितियों

की

आदर्श उपविधियाँ

1990

गृह निर्माण सहकारी संस्था की 'आदर्श उपविधियां'

संशोधित एवं पंजीकृत
उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें
जिला-भोपाल

राजहंस ... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल ...
D.R.B./318/दिनांक 8.2.83

उपविधि क्रमांक - 1 : नाम पता तथा कार्यक्षेत्र :-

इस संस्था का नाम ... राजहंस ... भोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित होगा और इसका पंजीकृत किया हुआ पता मकान नं. 17/16 ... मोहल्ला साउथ टी.टी. नगर भोपाल ... स्थान भोपाल ... डाकघर टी. टी. नगर भोपाल ... तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश होगा।

इस संस्था का कार्यक्षेत्र ... न.नि. भोपाल एवं ग्रामपंचायत बैरागढ़ चीचली तक तक सीमित रहेगा। (संस्था का कार्यक्षेत्र केवल सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमा तक ही सीमित रहेगा)। सीमित रहेगा।

संस्था के पंजीकृत पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना पंजीयक तथा प्रत्येक सदस्य को 30 दिन के अन्दर रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 2 परिभाषा :-

इन उपविधियों में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

1. "अधिनियम" का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (1961 का 17वां) [यथा संशोधित] से है।
2. "आवास संघ" का अर्थ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित से है।
3. "उपविधि" का अर्थ संस्था की पंजीकृत उपविधियों से है।

4. "कर्मचारी" का अर्थ प्रबन्धक समिति द्वारा संस्था के कार्य संचालन के लिए नियुक्त सेवायुक्त कर्मचारी से है।

5. "नियम" का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 (यथा संशोधित) से है।

6. "पंजीयक" का अर्थ पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश या वह अधिकारी जिसे संस्था के सम्बन्ध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने से शासन से प्राधिकृत किया हो, से है।

7. "राज्य शासन" का अर्थ मध्यप्रदेश शासन से है।

8. "प्रबन्ध समिति" का अर्थ है अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत गठित प्रबन्ध समिति चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो।

9. "सहकारी वर्ष" से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

10. "सेवा नियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।

11. "संस्था" का अर्थ उपविधि क्रमांक-1 में वर्णित संस्था से है।

12. "परिवार" का अर्थ पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है। बच्चों में दत्तक बच्चे भी सम्मिलित माने जावेंगे।

उपविधि क्रमांक - 3 : उद्देश्य :-

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उनके निवास स्थान के लिए भवन की व्यवस्था करना है तथा इसके लिए :-

[क] अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर भूमि किराये (लीज़) पर, बदले में अन्यथा अन्य प्रकार से लेना या खरीदना या अर्जित करना।

[ख] सदस्यों के निवास के लिए कार्य क्षेत्र के अन्दर भूमि खरीदना, विकसित करना और किराये पर देना एवं भवन निर्माण करना या करवाना।

[ग] संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर भवनों को बेचना, बदली करना, गिरवी रखना, किराये पर देना, लीज़ अथवा सबलीज़ पर देना, समर्पित करना, भूखण्ड, भवन व अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति क्रय करना एवं बेचना।

[घ] सदस्यों को उनके आवास निर्माण के लिए नवीन मकान/फ्लेट बनाने हेतु एवं पुराने मकानों के स्थान पर नवीन मकान बनाने हेतु ऋण की व्यवस्था कर ऋण प्रदान करना।

[छ] सदस्यों के भवनों में अतिरिक्त कार्य या मरम्मत आदि करना व करवाना।

[ज] जल प्रदाय, नाली, प्रकाश व इसी प्रकार की अन्य आवश्यक उपयोगी व्यवस्था रखना और प्रदाय करना।

[झ] सदस्यों के लिए विकसित की जाने वाली कालोनी में सामाजिक मनोरंजन तथा शैक्षणिक संरचना स्थापित करना और उन्हें चलाना।

[ट] उक्त सभी या किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी आकस्मिक और उपयोगी कार्य करना।

उपविधि क्रमांक - 4 : पूंजी एवं निधियां :-

संस्था द्वारा आवश्यक पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी।

1. अंश निर्वहन द्वारा।
2. प्रवेश शुल्क लेकर।
3. अमानतें जमा कराकर या अग्रिम धन लेकर।
4. ऋण लेकर।
5. अनुदान/सहायता/दान लेकर।
6. लाभ में से रक्षित निधि एवं अन्य निधियां बनाकर।

संस्था की पूंजी उपविधि क्र. 3 में उल्लिखित कार्यों में लगाई जावेगी। शेष पूंजी जब तक कि उसकी अन्य कार्यों के लिए आवश्यकता न हो अधिनियम की धारा 44 के अनुसार विनियोजित की जावेगी।

उपविधि क्रमांक-5 : सदस्यता :-

संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति में निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है :-

1. वह संस्था के कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो और उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिया हो,
2. उसका आचरण अच्छा हो,

3. उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो अनुबन्ध करने में सक्षम हो, परन्तु मृत सदस्यों के अल्पवय उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। परन्तु अवयस्क की न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे जो इन उपविधियों में अधिकार हैं,

4. उसने अंश क्रय हेतु रु. 500/- की राशि व प्रवेश शुल्क (रु. 50/-) जमा कर दिया हो,

5. उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो,

6. उसे राजनैतिक ढंग की सजा को छोड़कर किसी नैतिकता सम्बन्धी अपराध में दण्डित न किया गया हो, परन्तु यदि दण्ड की अवधि से पांच वर्ष व्यतीत हो गये हों तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

7. उसे किसी सहकारी संस्था अथवा शासकीय सेवा से निकाला (डिसमिस) न किया गया हो।

8. वह अधिनियम की धारा 48-ए के अधीन निर्रहित न हो।

9. उसका मध्यप्रदेश में स्वयं के नाम अथवा पति/पत्नी, अवयस्क संतान, के नाम कोई भूखण्ड/भवन या बहुमंजिली इमारत में फ्लेट न हो।

10. वह स्वयं या उसके पति/पत्नी/अवयस्क बच्चों में से कोई मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य न हो।

11. एक परिवार में से पति/पत्नी या उनके अवयस्क पुत्र/पुत्री में से कोई एक सदस्य ही संस्था का सदस्य बन सकेगा।

12. यदि उसका बालिग पुत्र/अविवाहित बालिग पुत्री उसी अथवा अन्य संस्था में सदस्य है तो वह शपथ-पत्र पर घोषणा करेगा कि पुत्र/पुत्री, पिता से अलग रहती है।

13. ....

....

....

[ब] संस्था में निम्न व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेंगे :-

1. जिसके द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश में स्थित किसी सहकारी संस्था से कभी कोई प्लाट, भवन या बहुमंजिली फ्लेट प्राप्त कर या मकान बनाकर तत्पश्चात उसे बेच दिया गया हो तथा प्लाट/भवन प्राप्त किये 10 वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो।

2. जिसका स्वयं का, पति/पत्नी या अवयस्क पुत्र/पुत्री या साथ रहने पर बालिग पुत्र/अविवाहित बालिग पुत्री का मध्यप्रदेश में प्लाट, भवन या फ्लेट हो।

3. एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्ति संस्था के सदस्य नहीं बन सकते।

4. वह स्वयं या उसके पति/पत्नी/अवयस्क बच्चों में से कोई मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य हो।

परन्तु यदि इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपरोक्त क्रमांक (1) से (4) तक की कोई अर्हता रखता हो किन्तु उसके सदस्य बनने के समय प्रभावशील उपविधियों के अन्तर्गत वह सदस्य बनने का पात्र रहा हो, सदस्य बनकर प्लाट/भवन आवंटित किया जा चुका हो, तो उसे संस्था के सदस्य के रूप में प्राप्त अधिकार यथावत बने रहेंगे।

उपविधि क्रमांक–6 :–

आरम्भ में सदस्य वे होंगे जिन्होंने संस्था के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया हो। उसके उपरान्त नये सदस्य प्रबन्ध समिति की स्वीकृति से सम्मिलित किये जावेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्ग के व्यक्ति को सदस्यता देने में प्राथमिकता दी जावेगी। कमजोर वर्ग की परिभाषा समय-समय पर पंजीयन सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी जो संस्था को मान्य करनी होंगी।

उपविधि क्रमांक - 7 (1) :–

संस्था में आवेदनपत्र के साथ रु. 50/-प्रवेश शुल्क, तथा रु. 500/- के अंश क्रय करने के लिए धनराशि जमा करनी होगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए रु. 50/– सदस्यता शुल्क एवं अंश क्रय हेतु रु. 100/– कुल मिलाकर रु. 150/– जमा करना पर्याप्त होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्तियों को शेष रु. 400/- के अंश भूमि/भवन आवंटन के पूर्व क्रय करने अनिवार्य होंगे। किन्तु संशोधनों के पूर्व बन चुके सदस्यों को अतिरिक्त राशि के अंश-क्रय करने अनिवार्य नहीं होंगे।

उपविधि क्रमांक - 7 (2) :–

प्रवेश शुल्क एवं अंश की राशि केवल संस्था के अध्यक्ष को सम्बोधित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर द्वारा जमा कराई जावेगी। संस्था नगद में कोई भी राशि प्राप्त नहीं करेगी।

उपविधि क्रमांक - 7 (3) :-

संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क एवं अंश क्रय के लिये जमा कराई गई राशि वापस कर दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 7 (4) :-

प्रथमश: संस्था की कुल सदस्य संख्या 3000 से अधिक नहीं होगी। 3000 सदस्यों के लिए भू-खण्ड/मकान/ऋण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के बाद संस्था अपनी साधारण सभा में सदस्य संख्या बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर सकेगी, जिसका क्रियान्वयन पंजीयक सहकारी संस्थायें म. प्र. भोपाल, की लिखित स्वीकृति के बाद ही किया जावेगा। यदि पंजीयक संस्था द्वारा अपने सदस्यों के लिए किए गए कार्य, संस्था के पास उपलब्ध भूमि एवं अन्य स्थितियों को देखते हुये संतुष्ट नहीं कि संस्था तीन हजार से अधिक सदस्यों के लिये भू-खण्ड/मकान/ऋण व्यवस्था करने हेतु सक्षम हो सकेगी, तो पंजीयक सहकारी संस्थायें म. प्र. भोपाल संस्था को तीन हजार से अधिक सदस्य नहीं बनाने का प्रतिबन्ध लगा सकेंगे।

उपविधि क्रमांक - 8 (1) :-

सदस्यता अंश क्रय करने के लिये संस्था के अध्यक्ष को इन उपविधियों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना-पत्र देना होगा। सदस्यता के प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक विधिवत सत्यापित शपथ पत्र देना होगा जिसमें उपविधि क्रमांक-5 में सदस्यता हेतु जो अर्हतायें दर्शाई गई हैं, वे अर्हतायें आवेदक की हैं, या शपथ पत्र पर सत्यापन व घोषणा करनी होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के प्रबन्धक को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 8 (2) :-

संस्था की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा प्राप्त किया जावेगा और अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि प्रबन्ध समिति की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुए सभी सदस्यता आवेदनों को

प्रबन्ध समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत करे, जिन पर प्रबन्ध समिति अधिनियम, नियमों व उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय लेगी।

उपविधि क्रमांक - 9 (1) :–

सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रबन्ध समिति की प्रथम बैठक में किया जावेगा। किसी व्यक्ति को संस्था की सदस्यता तभी दी जा सकेगी :—

1. जब उसने सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम 14 की शर्तें पूरी की हों।
2. वह उपविधि क्रं. 5 में उल्लेखित अर्हतायें रखता हो।
3. उसने उपविधि क्रं. 7 व 8 का पालन किया हो।

उपविधि क्रमांक - 9 (2) :--

प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करे या उल्लिखित कारणों से अस्वीकृत करे। किन्तु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो प्रबन्ध समिति के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र की अस्वीकृति के 15 दिन के अन्दर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिश: तामीली द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत होने सम्बन्धी कारणों की लिखित जानकारी जिस पर संस्था के अध्यक्ष या प्रबन्धक हस्ताक्षर करेंगे, संसूचित करे। निर्णय की सूचना प्रबन्धक द्वारा भेजी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर आवेदक प्रबन्ध समिति के निर्णय के विरुद्ध पंजीयक को अपील कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 9 (3) :--

संस्था द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक-पृथक पंजियाँ संधारित की जावेगी। प्रथम पंजी में संस्था में नवीन सदस्यता हेतु एवं सदस्यता समाप्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी पंजी (सदस्यता पंजी) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के सम्बन्ध में प्रविष्टी अंकित की जावेगी। इन दोनों पंजियों में प्रविष्टियां क्रमानुसार ही की जावेंगी और किसी भी स्थिति में इसका कोई अपवाद नहीं होगा।

उपविधि-क्रमांक - 10 : रजिस्टर :-

क. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे और अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसको कि सदस्य की मृत्यु पर उसकी यदि कोई धनराशि जमा हो तो वह दी जा सके। उत्तराधिकारी मनोनीत करने के उपरांत यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो नये उत्तराधिकारी के नाम दो साक्षियों के समक्ष लिखा जा सकेगा तथा आवेदक व साक्षियों के हस्ताक्षर लिए जावेंगे।

ख. प्रत्येक सदस्य को लिखकर देना होगा कि संस्था की उपविधियों का और उपविधियों में जो भी संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में होंगे, वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

उपविधि क्रमांक - 11 : सदस्यता से त्याग-पत्र :-

संस्था का कोई भी सदस्य संस्था में इन उपविधियों के साथ संलग्न प्रारूप में लिखित आवेदन-पत्र देकर सदस्यता समाप्ति हेतु निवेदन कर सकेगा। किन्तु ऐसे त्याग-पत्र के साथ सदस्य को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक शपथ-पत्र जिसमें त्याग-पत्र के कारणों का उल्लेख होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। त्याग-पत्र हेतु आवेदन संस्था के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबन्धक को सौंपा जा सकेगा। संस्था की प्रबन्ध समिति त्याग-पत्र प्राप्त होने पर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा त्याग-पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। किन्तु ऐसे आवेदन-पत्र को जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न न हों, अपूर्ण त्याग-पत्र माना जावेगा और स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यदि त्याग-पत्र अस्वीकार किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने अनिवार्य होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि संस्था के मूल प्रस्तावक सदस्यों में से कोई सदस्य त्याग-पत्र देता है तो वह तभी प्रभावशील होगा जब पंजीयक प्रस्तावक सदस्य के त्याग-पत्र को स्वीकार किए जाने सम्बन्धी निर्णय को अनुमोदित कर दे।

उपविधि क्रमांक - 12 :-

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित प्रबन्ध समिति की बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से संस्था की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा।

क. कोई ऐसा कार्य, जिससे कि संस्था की साख को क्षति पहुँचने की सम्भावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की सम्भावना हो, साशय करता है, या

ख. मिथ्या कथनों द्वारा संस्था को जान-बूझकर प्रवंचित करता है, या

ग. कोई ऐसा कारोबार करता है जो संस्था द्वारा किए जाने वाले कारोबार के समान हो या जिसके सम्बन्ध में यह सम्भावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वन्द्विता में आता है, या

घ. अपने द्वारा देय धनों का भुगतान करने में बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है।

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को उसे निष्कासित करने सम्बन्धी प्रस्थापना की सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के सम्बन्ध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

उपविधि क्रमांक - 13 : सदस्यता की समाप्ति :-

निम्नलिखित में से किसी एक भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर,
2. उपविधि क्रं. 11 के अनुसार त्याग-पत्र स्वीकृत होने पर।
3. उसके द्वारा धारित अंश किसी अन्य को स्थानान्तरित हो जाने पर।
4. उपनियम क्रं. 12 के अन्तर्गत निष्कासित किये जाने पर।
5. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के उपरान्त एक वर्ष की अवधि में कर देगी। किन्तु वह सदस्यता समाप्ति से दो वर्ष तक संस्था के उन सभी ऋणों के लिए देनदार होगा जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय थी।
6. सदस्य की मृत्यु की दशा में संस्था में उसके अंशों या जमा राशि में से, उसे वसूली योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार ऐसे व्यक्ति जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी

के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो, को इण्डोमिनिटी बाण्ड भरने पर भुगतान की जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 14 : नाम मात्र का सदस्य :–

संस्था के साथ वित्तीय सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति जैसे ठेकेदार, सप्लायर्स विक्रेता, एजेन्ट तथा उनके जमानतदार को प्रबन्ध समिति नाम मात्र का सदस्य बना सकेगी। नाम मात्र के सदस्य को अंश विक्रय नहीं किए जावेंगे किन्तु उनसे रुपए 500/– का शुल्क प्रति व्यक्ति लेकर नाम मात्र की सदस्यता प्रदान की जावेगी। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबन्ध, मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेंगे। संस्था के साथ वित्तीय सम्बन्ध बने रहने तक वे नाम मात्र सदस्य बने रहेंगे।

उपविधि क्रमांक - 15 : दायित्व :–

सदस्य का दायित्व संस्था द्वारा उसको प्रदत्त अंशों की राशि तक सीमित रहेगा किन्तु जो संस्था से ऋण अथवा अमानतें आदि लें ऐसे सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के दर्शनी मूल्य के आठ गुने तक सीमित रहेगा।

उपविधि क्रमांक - 16 : अंशपूंजी :

1. राजहंस गृ.नि. सह. संस्था की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 10,00000=00 (दसलाख) होगी। जिसमें सौ - सौ रुपये के 10,000=00 (दसहजार) अंश होंगे। अधिकृत अंशपूंजी में से 444400=00 रु. के 4444 अंश संस्था के सदस्यों को सदस्यता हेतु दिये जायेंगे शेष राशि रुपये 555,600-00 रु. के अंश सदस्यों को ऋण स्वीकृत के लिये जायेंगे। परन्तु अंशपूंजी में कमी या वृद्धि सम्बन्धी परिवर्तन संस्था की आमसभा के प्रस्ताव पर पंजीयक, सहकारी संस्थायें म. प्र. भोपाल की स्वीकृति से ही पंजीयक द्वारा किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता प्राप्ति के समय रु. 500 के अंश क्रय करना अनिवार्य होगा। किन्तु आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्तियों के लिए सदस्यता प्राप्ति के समय अंश क्रय हेतु रु. 100/– की राशि जमा करना पर्याप्त होगी और रु. 400/– की राशि के अंश भू-खण्ड/भवन आवंटन के पूर्व क्रय किए जा सकेंगे। यदि सदस्य द्वारा संस्था से ऋण लिया जाना हो तो सदस्य को प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित ऋण राशि के अनुपात में ऋण हेतु अतिरिक्त अंश लेना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में यह अनुपात 1 : 8 से कम नहीं होगा।

3. कोई भी सदस्य संस्था के प्रदत्त अंश पूंजी के 1/5 से अधिक अंश नहीं ले सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 17 :

किसी सदस्य को उसके अंश की रकम वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा पर यदि प्रबन्ध समिति चाहे तो किसी सदस्य को जिसने संस्था का सब देना चुका दिया हो, एक अंश रकम जमा रख शेष अंशों की रकम वापिस लेने की अनुमति दे सकती है।

उपविधि क्रमांक - 18 :

एक अंश प्रमाण-पत्र प्रत्येक के लिए हुए अंश अथवा अंशों के लिए दिया जावेगा जिस पर अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी। किसी सदस्य को अपना अंश अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति संस्था का सदस्य न हो अथवा जिसे संस्था ने सदस्य बनाना स्वीकृत न किया हो और प्रत्येक स्थिति में हस्तान्तरण उस समय तक नहीं हो सकेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति ने उसकी स्वीकृति न दी हो एवं रुपए 10/–हस्तान्तर करने का शुल्क जमा न हुआ हो। जब तक कि अंश का हस्तान्तरण संस्था के रजिस्टरों में नहीं लिखा जाता, उस समय तक जिसके नाम से हस्तान्तर होगा उसका कोई अधिकार समिति के विरुद्ध प्राप्त नही होगा न उसका परिणाम उस विवाद पर होगा जो संस्था ने अंश हस्तान्तर करने वाले पर किया हो।

उपविधि क्रमांक - 19 :

संस्था प्रत्येक सहकारी वर्ष में उसकी प्रदत्त अंशपूंजी का 1/10 भाग ही सदस्यों की अंशपूंजी उन्हें वापस कर सकेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इससे अधिक अंश राशि एक वर्ष में वापस करना हो तो विशेष परिस्थिति दर्शाते हुए पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश से पूर्वानुमति प्राप्त कर अंश राशि वापस की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक - 20 : ऋण तथा अमानतें :–

1. संस्था अपनी कुल प्रदत्त अंश पूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के पश्चात् शेष निजी निधि के 12 गुने तक ऋण और अमानत ले सकेगी।

2. संस्था अपने सदस्यों के लिए भवन निर्माण करने के उद्देश्य से प्राप्त की गई भूमि पर आवासी भवन निर्माण एवं कालोनी विकास हेतु आवास संघ, सहकारी बैंकों, ऋण देने वाली संस्थाओं अथवा शासन से ऋण ले सकेगी।

3. संस्था अपने सदस्यों से उस ब्याज दर पर जो पंजीयक द्वारा मान्य किए गए हों तथा ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जो प्रबन्ध समिति निश्चित करे, अमानतें प्राप्त कर सकती हैं।

4. संस्था द्वारा लिए गये ऋणों के लिए अलग से पंजी रखी जावेगी जिसमें जिस प्रभार पर ऋण लिया गया हो उसकी प्रविष्टि होगी और समय-समय पर चुकाये गए ऋण मुक्त प्रभार की प्रविष्टियां की जावेंगी।

5. संस्था द्वारा जिस प्रभार पर ऋण लिया गया है ऐसे समस्त प्रभारों की सूची और लिए गये ऋण की जानकारी संस्था अपनी साधारण सभा की बैठक में सदस्यों के समक्ष करेगी।

उपविधि क्रमांक-21 : साधारण सभा (व्यापक सम्मेलन) :-

संस्था के कारोबार के सम्बन्ध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे। वार्षिक साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर आहुत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव अथवा सस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें साधारण सभा बुलाए जाने का उद्देश्य हो अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष साधारण सभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जावेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात् सदस्यों की जो प्रथम साधारण सभा होगी उसको वे ही अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक साधारण सभा को दिए गये हैं।

उपविधि क्रमांक-22 : गणपूर्ति (कोरम) :-

साधारण सभा अथवा विशेष साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक होगी। साधारण सभा/विशेष साधारण सभा ~~की सूचना जारी करने~~ के दिनांक को संस्था की कुल सदस्यता संख्या का 1/10 भाग अथवा 50 सदस्य इनमें से जो भी कम हो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगा।

बैठक के लिए नियत किए हुए समय पर यदि गणपूर्ति नहीं हो तो वह बैठक यदि सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है तो स्थगित नहीं की जावेगी। बल्कि निरस्त कर दी जावेगी। अन्य स्थिति में वह दूसरी ऐसी अन्य तारीख और समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी जो उपस्थित सदस्य निश्चित करें, किन्तु ऐसी स्थगित बैठक के लिए भी गणपूर्ति होना आवश्यक होगा। सम्मेलन के दौरान किसी भी समय गणपूर्ति हेतु पर्याप्त सदस्य उपस्थित न हों तो सम्मेलन का अध्यक्ष इस तथ्य की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर या स्वप्रेरणा से सम्मेलन को ऐसी सुविधाजनक तारीख और स्थान के लिए जैसा वह

उचित समझे स्थगित कर देगा और इस स्थगित सम्मेलन जो गणपूर्ति में ही किया जावेगा, किए जाने वाले कार्य को सम्मेलन में सामान्य रीति से निपटाया जावेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में पहले की कार्य सूची में लिए हुये विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक-23 बैठक की सूचना :-

1. आमसभा की कार्य सूची, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 स्पष्ट दिवस पूर्व दी जावेगी।

2. उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूप-रेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

3. साधारण/विशेष साधारण सभा की बैठक की सूचना निम्न प्रकार से दी जावेगी :—

अ. सूचना पत्र पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिश: अभिस्वीकृति प्राप्त करके।

ब. 14 स्पष्ट दिवस पूर्व पंजीकृत डाक से जारी की गई सूचना समय पर तालीम न होने के कारण बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक-24 साधारण सभा के अधिकार :-

वार्षिक साधारण सभा में उन कार्यों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हों, निम्नलिखित काम होंगे :—

1. इन उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव करना।

2. वार्षिक पत्रक और उनसे सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।

3. लाभ का वितरण स्वीकृत करना।

4. संस्था के वार्षिक व्यय का बजट स्वीकृत करना।

5. यह निश्चित करना कि अमानतें कितनी, किस अवधि के लिए और किस ब्याज दर से ली जावें।

6. संस्था के आडिट तथा निरीक्षण टीप पर समिति द्वारा जो कार्यवाही की गई हो उसे देखना और जहाँ आवश्यकता हो उचित आज्ञायें देना।

7. संस्था के कार्य की देख-भाल करने हेतु एक आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना और उसका पारिश्रमिक निश्चित करना।

8. संस्था के कार्य संचालन के लिए उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना ।

9. प्रबन्ध समिति के सदस्यों पर बकाया ऋण व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत कराना/होना ।

10. अन्य बातों पर विचार करना जो प्रबन्ध समिति अथवा सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किये जावें ।

उपविधि क्रमांक - 25 :

साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी सदस्य कार्य सूची में न दिया हुआ प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु ऐसा प्रस्ताव किसी सदस्य के निकाल दिए जाने अथवा निकाले हुए सदस्य को पुनः प्रवेश देने अथवा उपविधियों में संशोधन करने अथवा ब्याज की दर में कमी या वृद्धि करने के सम्बन्ध में नहीं होगा ।

उपविधि क्रमांक - 26 :

संस्था का अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि दोनों उपस्थित न हों तो संस्था के अन्य सदस्यों में से जिसको उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें साधारण/विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा ।

परन्तु ऐसी स्थिति में जब कि अधिनियम की धारा 49 (8) के तहत पंजीयक द्वारा संस्था का कार्यभार सम्हाल लिया गया हो, अथवा धारा 53 (1) के तहत प्रबन्ध समिति को अधिष्ठित किया गया हो अथवा धारा 53 (13) के तहत निर्वाचित प्रबन्ध समिति के स्थान पर नामांकित समिति गठित की गई हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कीजावेगी ।

उपविधि क्रमांक - 27 :

साधारण-सभा में प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होगा, भले ही उसने संस्था के कितने ही अंश लिए हों। कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उसी सदस्य को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा जो संस्था का कम से कम एक अंश का अधिकारी हो और जिसे मतदान दिनांक से कम से कम 40 दिन पूर्व प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता स्वीकृत हो गई हो। संस्था की प्रबंध समिति का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानानुसार होगा परन्तु चुनाव के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से, जो सभा के अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जावे, सम्पन्न होगी। मामलों का निर्णय सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर होगा। समान मतों की दशा में अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उप पंजीयक ... जिला भोपाल

उपविधि क्रमांक - 28 : प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनर्हताएं :-

कोई भी व्यक्ति प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने हेतु योग्य न होगा तथा उस रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा यदि :–

1. वह संस्था या किसी अन्य संस्था के लिए हुए किसी ऋण या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का व्यतिक्रमी हो। ऐसे सदस्य को प्रबन्ध समिति के निर्वाचन में मताधिकार भी नहीं रहेगा ।

2. संस्था में किसी लाभ के पद पर है अथवा स्वीकार कर ले ।

3. अधिनियम व नियमों के किसी प्रावधान के तहत प्रबन्ध समिति में पद धारण करने के लिए अयोग्य हो गया हो ।

4. उसी प्रकार का धन्धा करता हो जो संस्था करती है ।

5. संस्था के किसी कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो या हो जावे ।

6. निर्वाचन दिनांक से 12 माह से अधिक समय पूर्व से संस्था का सदस्य न हो। परन्तु यह प्रतिबन्ध संस्था के पंजीयन के पश्चात् प्रबन्ध समिति के होने वाले प्रथम निर्वाचन के समय लागू नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य की अपात्रता की बात जानकारी में आने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् प्रबन्ध समिति उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित करेगी। यदि प्रबन्ध समिति उक्त अवधि में कार्यवाही करने में असफल रहे तो पंजीयक द्वारा ऐसे सदस्य को सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात उसे ऐसा पद धारण करने से लिखित आदेश द्वारा अयोग्य घोषित किया जावेगा ।

उपविधि क्रमांक - 29 : प्रबन्ध समिति :-

1. संस्था की एक प्रबन्ध समिति होगी। प्रबन्ध समिति में कुल सदस्य 11 होंगे जिनमें से 8 सदस्य आम सभा द्वारा निर्वाचित किये जावेंगे। इनमें से एक स्थान महिला के लिए आरक्षित रहेगा। 3 मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य पंजीयक का प्रतिनिधि, एक सदस्य जिले के कलेक्टर का प्रतिनिधि जो नायब तहसीलदार स्तर से कम का न हो तथा तीसरा सदस्य आवास संघ का प्रतिनिधि जिसे मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबन्ध संचालक द्वारा मनोनीत किया जावे, होगा। प्रबंध समिति के लिए राज्य शासन साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए एक-एक पद आरक्षित कर सकेगा ।

किन्तु आगामी चुनाव पर्यन्त इस उपविधि के प्रभावशील होते समय कार्यरत प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी और इस उपविधि के प्रावधान आगामी चुनाव के समय तथा उसके बाद लागू होंगे।

2. आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा न भरे जाने की स्थिति में प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के पश्चात सहयोजन के लिए आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा करेंगे जिसके लिए स्थान आरक्षित हैं।

3. गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा।

4. आरक्षित स्थान निर्वाचन अथवा सहयोजन द्वारा न भरे जाने की दशा में पंजीयक उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके लिए कि वह स्थान आरक्षित है, नामांकन द्वारा पूर्ति करेंगे।

5. प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबन्ध समिति अपने में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा सहयोजन की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा।

7. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/2 अथवा 5 इनमें से जो अधिक हो, होगी।

8. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का कार्य काल तीन वर्ष का होगा। तीन वर्ष की अवधि की गणना प्रबन्ध समिति की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी।

9. पंजीयन के समय गठित अन्तरिम प्रबन्ध समिति का कार्यकाल केवल तीन माह तक का होगा। तीन माह की अवधि में ही नवीन प्रबन्ध समिति का निर्वाचन कराना होगा। परन्तु विशेष परिस्थिति में पंजीयक की अनुमति से गठित अन्तरिम कमेटी के कार्यकाल में अधिकतम तीन माह की वृद्धि और की जा सकेगी।

10. कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पद को दो से अधिक क्रमवर्ती निर्वाचित कार्यकाल अथवा 5 वर्ष की लगातार कालावधि के लिए, इनमें से जो भी कम हो धारण नहीं करेगा।

उपविधि क्रमांक - 30 (1) :

अन्य सहकारी संस्थाएँ जिनसे कि संस्था सम्बद्ध हो, में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रबन्ध समिति अपने में से ही करेगी तथा उक्त बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन

अधिकारी करेगा। ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यकाल उस संस्था की प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के समरूप होगा जिसके लिए प्रतिनिधि चुना गया है।

उपविधि क्रमांक - 30 (2) :

प्रबन्ध समिति के कार्यकाल में हुए उसके सदस्य अथवा प्रतिनिधि के किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्ध समिति के सदस्यों के द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा समिति के शेष कार्यकाल तक की अवधि के लिए की जावेगी। कोरम पूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा। ऐसी बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति होने पर नये अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 31 :

इन उपविधियों के अनुसार तथा आम सभा के समय-समय पर विधि अनुसार किये हुए ठहराव के अधीन संस्था का कारोबार चलाने के लिए प्रबन्ध समिति को पूरे अधिकार होंगे। वे सब कार्य जो प्रबन्ध समिति ने अथवा किसी ने प्रबन्ध समिति के सदस्य होने के नाते किए हों, यद्यपि बाद में यह मालूम हो कि प्रबन्ध समिति का चुनाव या उसके किसी सदस्य का निर्वाचन सहकारी संस्था के विधान या उसके अन्तर्गत नियम या उपविधियों के विरुद्ध था, उसी प्रकार उचित समझे जावेंगे जिस प्रकार प्रबन्ध समिति या उसके किसी ऐसे सदस्य का निर्वाचन उक्त विधान नियम या उपविधियों के अनुसार होने पर उचित होते।

उपविधि-क्रमांक - 32 :

प्रबन्ध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी। परन्तु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक अवश्य बुलाई जावेगी। यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में प्रबंध समिति की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो प्रबंध समिति उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रबंध समिति की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक प्रबंध समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 33 :

सब प्रस्तावों का निर्णय बहुमत से किया जावेगा। दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कोई ऐसा प्रश्न

जिसमें प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का निजी सम्बंध हो तो उस समय वह सदस्य प्रबंध समिति की बैठक में सम्मिलित न हो सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 34 (1) : प्रबन्ध समिति के कर्तव्य तथा अधिकार :-

1. उन ठहरावों का पालन करते हुए जो आम सभा समय-समय पर पारित करे, भूमि मोल लेना, प्राप्त करना, पट्टे पर लेना, गिरवी रखना, किराये पर देना, अपने पास रखना, बेचना, बदलना, अपनी भूमि शिकमी पट्टे पर देना, भूमि भवन बनाने योग्य बनाना, भवन बनाना, नालियां बनवाना एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था करना तथा अन्य ऐसे काम करना जो उपरोक्त कार्यों हेतु आवश्यक हों।
2. संस्था के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको अधिकार देना, दण्डित, पदोन्नत करना, उन्हें अवकाश स्वीकृत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति (जमानत) लेना।
3. आम सभा द्वारा स्वीकृत बजट के अन्दर खर्च करना।
4. नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता, अंश स्वीकृति एवं अंश वापसी सम्बंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना।
5. संस्था के काम-काज सम्बंधी शिकायतों को सुनना और उसका निराकरण करना।
6. आवश्यकतानुसार संस्था की ओर से ऋण लेना और यह तय करना कि ऋण दस्तावेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।
7. सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार करना और उनके निष्कासन पर निर्णय लेना।
8. अमानतें प्राप्त करना।
9. प्रबन्धक के कार्यों की जाँच करना और यह देखना कि संस्था के हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर ठीक प्रकार से रखे जाते हैं।
10. जो वैधानिक कार्यवाही अथवा वाद संस्था की ओर से अथवा उनके किसी अधिकारी के अथवा कर्मचारी के विरुद्ध संस्था के कारोबार के सम्बन्ध में हो उनमें पैरवी करना, समझौता करना अथवा वाद वापस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिए संस्था के किसी संचालक को या कर्मचारी को अधिकृत करना।
11. पंजीयक, सहकारी अंकेक्षक तथा विभागीय अधिकारियों तथा ऐसी संघीय संस्था जिसकी वह संस्था सदस्य हो, के अधिकारियों को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात

रजिस्टर, प्रस्तुत करना और उनके अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीपों का पालन करना और उनका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपने पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

12. वार्षिक आय व्यय पत्रक बनाना और आगामी वर्ष के लिए आय एवं व्यय का पत्रक बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
13. पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर शासकीय कोषालय में जमा करना।
14. संस्था की ओर से जिनमें संस्था सम्बद्ध हो, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के अंश क्रय करना, अंश वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।
15. अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पूंजी का विनियोजन करना।
16. उपविधि क.-21 के अनुसार आम सभा/विशेषसाधारण सभा की बैठक बुलाना।
17. प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों में से अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना।
18. प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अन्त में संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर पंजीयक को प्रस्तुत करना।
19. प्रबन्ध समिति के सदस्यों के त्याग-पत्र प्रस्तुत होने से उन पर विचार करना एवं स्वीकृत या अस्वीकृत करना।
20. संस्था के कारोबार के संचालन के सम्बंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन के पश्चात पंजीयक से पूर्वानुमोदन लेकर तदनुसार कार्य करना।
21. वे सब कार्य करना जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक हों और जिनके सम्बंध में विशेष अधिकार अधिनियम, नियम या इन उपविधियों के अनुसार आमसभा में वेष्ठित न हों।

उपविधि क्रमांक - 34 (2) :-

प्रबंध समिति अपने अधिकारों में से कोई अधिकार (क्रमांक-1, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21 को छोड़कर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेंगी, किन्तु प्रबंध

समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यों का विवरण प्रबंध समिति की बैठक में पुष्टि हेतु रखना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक - 35 :

वह सब कार्यवाही जो कि प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्तुत हुई हो और जिनके सम्बंध में चर्चा अथवा निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तक में लिखी जावेगी। कार्यवाही विवरण प्रबन्धक द्वारा लिखा जावेगा और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। कार्यवाही पंजी संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी। अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक समाप्त होने के तत्काल बाद निर्णय/प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिये जावेंगे।

उपविधि क्रमांक - 36 :

बैठक की कार्यसूची, समय, तारीख तथा स्थान की सूचना जो अध्यक्ष व प्रबन्धक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी बैठक के पाँच दिन पहले जारी की जावेगी। सूचना पत्र व्यक्तिश: तामील कराया जावेगा अथवा नामांकित सदस्य के कार्यालय पर व अभास-कीय सदस्य के निवास स्थान पर उसके साथ निवास करने वाले किसी सम्बन्धी बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जावेगा। चलित बैठक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 37 : अपील :-

संस्था की प्रबन्ध समिति/अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर पंजीयक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक - 38 : (1) अध्यक्ष :-

अध्यक्ष संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहेगा। साधारण सभा तथा प्रबन्ध समिति के प्रस्तावों में शामिल निर्णयों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने का दायित्व अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारियों के काम की देखभाल करेगा। वह इन अधिकारों को काम में लावेगा जो प्रबन्ध समिति ने उसको दिये हैं।

उपविधि क्रमांक-38 : (2) उपाध्यक्ष :-

संस्था में एक उपाध्यक्ष होगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबन्ध समिति की बैठकों

की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष को अस्वस्थता अथवा अन्य किसी कारण से प्रबन्ध समिति द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया हो तो अवकाश की अवधि में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के उन अधिकारों का उपयोग करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा लिखित में सौंपे जावें।

उपविधि क्रमांक - 39 : (1) प्रबन्धक :-

प्रबन्ध समिति एक प्रबन्धक नियुक्त करेगी जिसे वेतन/पारिश्रमिक दिया जावेगा। जिले के उप/सहायक यदि पंजीयक, संस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर किसी विभागीय कर्मचारी को प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर दे सकेगा और संस्था की प्रबन्ध समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उसे स्वीकार कर प्रबन्धक के पद पर नियुक्त करे।

उपविधि क्रमांक - 39 (2) :

प्रबन्धक पद पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी जो :-

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो।
2. किसी अन्य सहकारी संस्था की प्रबन्ध समिति का सदस्य न हो।
3. किसी सहकारी संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर कभी भी कार्यरत न रहा हो।
4. संस्था का सदस्य न हो।
5. किसी सहकारी संस्था की सेवा या शासकीय सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो।
6. किसी अपराध में सजा न हुई हो और दिवालिया घोषित न किया गया हो।

उपविधि क्रमांक - 40 :

प्रबन्धक संस्था की प्रबन्ध समिति व अध्यक्ष के सामान्य नियन्त्रण में काम करेगा। उसके कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :—

1. निर्धारित आवश्यक रजिस्टरों तथा अन्य कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना।
2. पावतियां, रसीदें, व्हाउचर्स, चैक तथा दस्तावेज तैयार करना। रसीद, चैक आदि पर अध्यक्ष अथवा उस व्यक्ति के, जिसे कि प्रबन्ध समिति ने यह अधिकार दिया हो, हस्ताक्षर कराना।
3. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से आमसभा, प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना। प्रबन्ध समिति के निर्णयों की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।

जिला

4. आमसभा तथा समिति की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही कार्य पुस्तिका में लिखना। कार्यवाही विवरण के ठीक नीचे उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराना।

5. प्रतिवर्ष 30 अप्रैल के पूर्व गत वर्ष के आय-व्यय तथा वार्षिक पत्रक तैयार कराना और 31 मई तक नियमों में निर्धारित अधिकारी को भेजना।

6. रजिस्टरों की प्रतिलिपि को प्रमाणित करना।

7. अंकेक्षक तथा अन्य अधिकारियों की आडिट तथा निरीक्षण टीपों को उत्तर सहित प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

8. स्वीकृत बजट के भीतर प्रबन्ध समिति द्वारा दिए हुए अधिकारों के अनुसार व्यय करना।

9. समिति के द्वारा एकत्रित होने वाली समस्त धनराशि सम्बन्धित सहकारी केन्द्रीय बैंक में जमा करना।

10. वे अन्य कार्य करना जो प्रबन्ध समिति द्वारा सौंपे जावें।

उपविधि क्रमांक - 41 :भूमि का क्रय/अर्जन आदि :-

संस्था द्वारा केवल वही भूमि प्राप्त की जावेगी जो उसके कार्यक्षेत्र के अन्दर स्थित हो और जो नगर भूमि (सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 के प्रावधानों से मुक्त हो या राज्य शासन द्वारा मुक्त कर दी गई हो। ऐसी भूमि, जो नगर भूमि अधिनियम 1976 के सीलिंग सम्बन्धी प्रावधानों से मुक्त न हो, को क्रय करने का करार संस्था नहीं करेगी, किन्तु ऐसी भूमि का भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य अर्जन किया जा सकेगा। संस्था केवल वही भूमि क्रय/अर्जित करेगी जो सम्बन्धित क्षेत्र के मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी गई हो। जहाँ मास्टर प्लान प्रभावशील नहीं हुआ हो, वहाँ केवल वही भूमि क्रय/अर्जित की जावेगी जिस पर आवासीय कालोनी का विकास किया जाना सम्बन्धी स्थानीय क्षेत्र में लागू रेग्यूलेशन के तहत सम्भव हो और तदाशय का प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय संस्था तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कर दिया गया हो। केन्द्रीय अथवा राज्य शासन, विकास प्राधिकरण या स्थानीय संस्था के अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित/प्रस्तावित क्षेत्र में भी संस्था द्वारा सीधे कोई भूमि क्रय नहीं की जावेगी। किन्तु ऐसे क्षेत्रों में शासन/विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण मण्डल/स्थानीय संस्था से आवासीय भूमि प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 42 : कालोनी का विकास एवं प्लाटों का हस्तान्तरण :-

संस्था कालोनी का विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व तथा सदस्यों को प्लाटों का हस्तान्तरण करने के पूर्व निम्नलिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करेगी :-

1. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर से कालोनाइजर लायसेंस,

2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से डायवर्शन की अनुमति,

3. यदि संस्था का कार्यक्षेत्र ऐसे शहर में है जहाँ नगर भूमि (सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 लागू है तो सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

4. संयुक्त/उप संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन से कालोनी के ले आऊट का अनुमोदन,

5. नगर निगम/नगर पालिका परिषद से कालोनी के ले आऊट को स्वीकृति,

6. नजूल अधिकारी से कालोनी के क्षेत्र में शासकीय भूमि न होने संबंधी प्रमाण-पत्र,

7. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत फार्म-4 में जिला कलेक्टर से कालोनी के विकास की लिखित अनुमति,

8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून/रेग्यूलेशन के तहत प्रावधानित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

उपविधि क्रमांक–43 (1) : भू-खण्ड/भवन का हस्तान्तरण :-

कोई भी सदस्य संस्था से प्राप्त भू-खण्ड/भवन का 10 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करेगा। किन्तु इसमें कोई ऋण प्राप्त करने के लिए भू-खण्ड भवन को बंधक रखना शामिल नहीं होगा। सदस्य को भू-खण्ड प्राप्त करने के तीन वर्ष के अन्दर भवन निर्मित करना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश तीन वर्ष में भवन निर्मित किया जाना सम्भव न हो तो सदस्य द्वारा लिखित आवेदन किये जाने पर प्रबन्ध समिति सदस्य को भवन निर्माण हेतु अधिकतम दो बार 1-1 वर्ष का समय स्वीकृति कर सकेगी। यदि सदस्य तीन वर्ष की अवधि में अथवा प्रबन्ध समिति से अनुमति प्राप्त कर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में भवन का निर्माण नहीं कर सका तो भू-खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित हो जावेगा और सदस्य को इन उपविधियों के अनुसार उसके द्वारा भू-खण्ड के लिए जमा की गई राशि मय ब्याज के वापस की जावेगी।

परन्तु संस्था के जिन सदस्यों को इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व भू-खण्ड/भवन आदि हस्तान्तरित कर दिये हैं, वे भू-खण्ड/भवन हस्तान्तरण के समय प्रवृत्त उपविधियों/हस्तान्तरण दस्तावेज की शर्तों से ही नियंत्रित होंगे और भविष्य में होने वाले हस्तान्तरण इस उपविधि से नियंत्रित होंगे।

उपविधि क्रमांक - 43 (2) :–

संस्था द्वारा सदस्य को भू-खण्ड हस्तान्तरित करते समय हस्तान्तरण दस्तावेज में निम्नलिखित शर्तों का समावेश किया जाना अनिवार्य होगा :–

1. यह कि सदस्य 10 वर्ष तक भू-खण्ड/उस पर बनाये गये भवन का हस्तान्तरण नहीं करेगा।
2. यदि 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सदस्य को भू-खण्ड/भवन के हस्तान्तरण की आवश्यकता पड़े तो वह भू-खण्ड को संस्था के पक्ष में समर्पित कर भू-खण्ड के लिए जमा की गई धनराशि वापस प्राप्त कर सकेगा। राशि वापस करते समय डाकघर बचत दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जावेगा।
3. सदस्य को भू-खण्ड प्राप्ती के 3 वर्ष के अन्दर भवन निर्माण कराना अनिवार्य होगा। सदस्य के लिखित आवेदन पर संस्था द्वारा यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। तीन वर्ष की अवधि में संस्था द्वारा लिखित अनुमति दिये जाने पर अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में भवन निर्माण न होने पर भू-खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित माना जावेगा। भू-खण्ड का समर्पण होने पर सदस्य द्वारा भू-खण्ड के लिए संस्था को दी गई भू-खण्ड की क्रय राशि और डाकघर बचत खाता की ब्याज दर पर ब्याज की राशि वापिस प्राप्त कर सकेगा।

परन्तु इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व जिन सदस्यों के पक्ष में हस्तान्तरण दस्तावेज निष्पादित कर दिये गये हों, वे पूर्व में निष्पादित दस्तावेजों की शर्तों से ही नियंत्रित होंगे।

उपविधि क्रमांक - 44 भवन निर्माण :–

1. साधारणतया सदस्य भवन स्वयं बनावेंगे परन्तु यदि सदस्यों की ऐसी इच्छा हो तो संस्था सदस्यों के खर्चे से और उनकी जोखमदारी पर भवन बनाने का जिम्मा ले सकती है। संस्था किसी हानि के लिए जो ऐसे भवन की तैयारी के कारण हो, किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगी। जब संस्था भवन बनाना अपने जिम्मे ले तो, वह सदस्य से वह मूल्य जो अनुमान किया गया हो, पूरा अथवा किश्तों में जैसा कि प्रबन्ध समिति निश्चय करे, जमा करा लेगी। यदि भवन संस्था के लिए हुए ऋण से बनाना हो तो सदस्य को ऋण की लिखितम संस्था में लिखकर उसकी रकम लेने का अधिकार संस्था को देना होगा।

2. आमसभा की स्वीकृति से संस्था भवन बनाकर संस्था के सदस्य को क्रय-किराये की प्रथा से बेच सकेगी और जो भवन इस प्रकार न बिके उनको किराये पर दे सकेगी।

उपविधि क्रमांक - 45 :

संस्था के सदस्य कालोनी के स्वीकृत किए हुए नक्शों के अनुसार भवन बनायेंगे। भवन संस्था के स्वीकृत किए हुए नक्शों के विपरीत बना हुआ पाये जाने पर प्रबन्धसमिति को अधिकार होगा कि वह सदस्य से उनको दिया हुआ ऋण मय ब्याज के एक मुश्त वसूल कर ले।

उपविधि क्रमांक - 46 :

यदि सदस्य ने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो तो ऋण की पहली किस्त मिलने की तारीख से दो महीने के अन्दर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए।

यदि कोई सदस्य निश्चित समय के अन्दर भवन बनाना शुरू न करे। अथवा उसे पूरा न करे तो प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा वह उसके बनाने का कार्य अपने हाथ में लेकर पूरा करे और जो खर्च लगे वह सदस्य के ऋण खाते नामे डाल दे।

उपविधि क्रमांक - 47 :

प्रत्येक सदस्य जिसने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो निर्माण कार्य के दौरान संस्था द्वारा निरीक्षण करावेगा और भवन का मूल्यांकन करने देगा। इसी प्रकार शेष ऋण की सुरक्षा एवं जाँच के लिए सदस्य वार्षिक निरीक्षण करावेगा।

उपविधि क्रमांक - 48 :

कोई सदस्य किसी प्लाट या निर्मित भवन को जो संस्था से ऋण लेकर खरीदा या बनाया गया हो केवल उस व्यक्ति को ही हस्तान्तरित कर सकेगा जो संस्था का सदस्य हो अथवा जिसे प्रबन्ध समिति ने सदस्य स्वीकार किया हो।

उपविधि-क्रमांक - 49 :

जब तक संस्था से लिया गया ऋण पूरा चुकता न हो जावे, भवन को अच्छी स्थिति में रखना होगा। यदि भवन किराये पर दिया जाता है तो किरायेदार से संस्था अनुबन्ध करेगी जिसके तहत सम्पूर्ण किराया संस्था में सदस्य के ऋण खाते में जमा करने की शर्त रखी जावेगी। सेवारत सदस्य का यदि स्थानान्तरण हो जावे तो उसे अपना भवन संस्था को सौंप देना होगा,जो उसको उचित किराये पर उठाकर प्राप्त होने वाली राशि से सदस्य को समिति द्वारा दिये गये ऋण खाते में जमा करेगी।

उपविधि क्रमांक–50 :

यदि सदस्य अपना भवन स्वयं बनावे तो उसकी प्रार्थना पर संस्था मजदूर, कारीगर और भवन के लिए लगने वाले सामान की सम्मिलित व्यवस्था कर सकती है। ऐसी स्थिति में संस्था केवल एजेन्ट के नाते काम करेगी और ऐसे काम में होने वाली किसी प्रकार की हानि की उत्तरदायी नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक - 51 :

यदि संस्था पानी, प्रकाश, नालियों की सफाई आदि का कोई प्रबन्ध करे तो, वह ऐसा शुल्क जो उचित हो सदस्यों से वसूल कर सकती है।

उपविधि क्रमांक - 52 : ऋण :–

ऋण केवल सदस्यों को ही दिया जायेगा किन्तु कोई भी सदस्य ऋण प्राप्त करने के लिए उसका स्वत्व नहीं बना सकेगा। ऋण के प्रार्थना पत्रों का निर्णय प्रबन्ध समिति करेगी।

उपविधि क्रमांक - 53 :

ऋण के प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष या प्रबन्धक को दिये जावेंगे, और उसका कर्तव्य होगा कि उसको प्रबन्ध समिति में प्रस्तुत करें।

उपविधि क्रमांक–54 :

भूमि क्रय करने, भवन बनाने अथवा भवन में वृद्धि करने के लिए ही ऋण दिये जा सकेंगे।

उपविधि क्रमांक - 55 :

कोई सदस्य किसी समय संस्था में जमा किए हुए अंशों की रकम के उतने गुने से अधिक रकम के लिए संस्था से ऋण नहीं लेगा जितना कि पंजीयक निर्धारित करे।

उपविधि क्रमांक - 56 :

जो ऋण संस्था से दिया जावेगा उस पर प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज प्रतिवर्ष लिया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 57 :

ऋण लेने वाले की भूमि की प्रतिभूति पर मय किसी भवन अथवा अन्य निर्माण के जो उस पर हो और जो ऋण लेने के समय हो अथवा चालू रखने की अवधि में बनाये गये हों, ऋण दिया जावेगा। जब आवश्यकता हो समिति दूसरी प्रतिभूति, अन्य सम्पत्ति के रूप में या व्यक्तिगत प्रतिभूति के रूप में ले सकती है।

उपविधि क्रमांक - 58 :

नये भवन बनाने अथवा उनमें वृद्धि करने के लिए जो ऋण स्वीकृत किए जावेंगे। वे किश्तों में स्वीकृत किए जावेंगे। जैसे-जैसे भवन बनाने का काम चलता जावेगा वे रिलीज किए जावेंगे बाद में ऋण की किश्ते उसी समय दी जावेंगी। जब प्रबन्ध समिति इस बात को देख लेगी कि जो रकम पहले दी जा चुकी है उसका योग्य उपयोग किया गया है, और जो निर्माण काम हुआ है वह भूमि का मूल्य मिलाकर उस रकम के बराबर है जो ऋण पेटे वह उस समय तक ले चुका है।

उपविधि क्रमांक - 59 :

यदि प्रबन्ध समिति को मालूम हो कि संस्था से लिए गए ऋण का उचित उपयोग नहीं किया गया है तो वह उस अवधि तक जिसके लिए ऋण दिया गया था प्रतीक्षा न करते हुए सम्पूर्ण ऋण ब्याज सहित वसूल करने की शीघ्र कार्यवाही करेगी।

उपविधि क्रमांक - 60 :

प्रत्येक सदस्य जिसने संस्था से ऋण लिया हो, ऋण की रकम ब्याज सहित प्रतिमाह

समान किश्तों में जमा करेगा। किस्त प्रत्येक महीने में 15 तारीख को अथवा इसके पहले दी जावेगी। किश्त समय पर जमा न होने की स्थिति में उस पर ऐसी दर पर वार्षिक ब्याज एवं दण्ड ब्याज जो प्रबन्ध समिति निर्धारित करे, लिया जावेगा। ऋण अदायगी हेतु 30 वर्ष से अधिक समय की किस्तें नहीं की जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 61 :

ऋण लेने वाले सदस्य को अधिकार होगा कि किसी समय निश्चित की हुई किश्त की रकम से अधिक रकम दे सकता है अथवा सब ऋण एक ही समय में पूरा चुका दे। जो रकम मासिक किश्त से अतिरिक्त वसूल होगी उसका जमा खर्च मूल रकम को कम करने में किया जावेगा। परन्तु आगामी मासिक किश्त आगे नहीं बढ़ाई जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 62 :

सदस्यों से जो रकम प्राप्त होगी वह नीचे बताये अनुसार जमा की जावेगी :—

(1) दण्ड ब्याज, डाक व्यय, रजिस्ट्री खर्च तथा अन्य जो उससे लेना हो।

(2) ब्याज।

(3) मूल।

भोपाल.

ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को या अन्य तिथि को, जैसा प्रबन्ध समिति तय करे, देय होगा। ऋण की कटमिति विधि से कुल अवधि का ब्याज लगाकर वह रकम उतनी मासि[illegible] किस्तों में वसूल की जावेगी जितनी किश्तों में ऋण वसूल करना निश्चित हुआ हो। दण्[illegible] ब्याज पहले देना होगा परन्तु ऋण देने वाली संस्था द्वारा उसके ऋण का ब्याज लेने संबंधी जो नियम बनाये गये हों, उनको दृष्टि में रखकर सदस्यों से ब्याज लेने की उपरोक्त रीति में उचित परिवर्तन करने का प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक - 63 :

नया भवन बनाने के लिए अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए दिये हुये ऋण की पहली किश्त उस तारीख से एक मास, जिस तारीख को वह भवन जिसके लिये ऋण दिया गया हो बनकर तैयार हो गयो अथवा ऋण की पहली किश्त की रकम के देने की तरीख से

12 माह के बाद, इनमें जो पहले आवे, देय होगी। उस भवन, जिसके निर्माण हेतु ऋण लिया गया है, के पूर्णतः निर्मित होने तक ऋण पर एकजित होने वाला ब्याज भवन निर्माण पूर्ण होने पर या ऋण की प्रथम अंशिका देने के 12 माह बाद, जो भी पहले हो, एक मुश्त देय होगा। यदि ऐसा न हो सका तो दण्ड ब्याज कालातीत रकम पर वसूल किया जावेगा। यदि कोई सदस्य अग्रिम रूप से मासिक ब्याज की रकम कर्ज की प्रथम अंशिका प्राप्त होने के अगले माह से जमा करना शुरू करता है तो ऐसा करने में आक्षेप नहीं है।

उपविधि क्रमांक - 64 :

यदि सदस्य किसी विशेष कारण से निश्चित किश्त किसी समय न दे सके। तो समाधान होने पर वर्ष में अधिक से अधिक दो बार शिथिलता बरती जाकर अवधि दी जा सकती है। परन्तु ब्याज की कुल देय रकम वर्ष समाप्त होने से पहले जमा करना आवश्यक होगा। यदि किसी ऋण पर ऐसी रकम बाकी रह जावे तो मुद्दत अथवा दो मासिक किश्तों के बराबर हो और प्रबन्ध समिति अवधि देना उचित न समझे तो कुल ऋण ब्याज सहित देय होगा।

उपविधि क्रमांक - 65 :

संस्था को पूरा अधिकार होगा कि अंश की अमानत कीअथवा अन्य रकम जो जमा हो वह सब अथवा उसका कुछ भाग अपने लौन पेटे जमा कर ले।

उपविधि क्रमांक - 66 :

उपविधि क्रमांक 65 के अनुसार सदस्य अथवा पिछले सदस्य से अंश आदि की रकमें ऋण में से वसूल हुई रकम तथा लाभांश की रकम, सब मिलाकर जमा होने के बाद भी यदि संस्था का उस सदस्य से अथवा पिछले सदस्य से कुछ लेना बाकी रहे तो वह सदस्य बाकी ऋण का देनदार होगा और संस्था को अधिकार होगा कि उसकी वसूली के लिए ऐसी कार्यवाही करे, जो वह उचित समझे।

उपविधि क्रमांक - 67 :

उपविधि क्रमांक 66 के अनुसार संस्था अपने अधिकार का उपयोग करते हुए व्यतिक्रमी सदस्यों के हितों को जो संस्था की सम्पत्ति में हो उस प्रकार जैसा वह उचित समझे

नीलाम कर सकती है, परन्तु ऐसा नीलाम उस समय तक नहीं किया जावेगा जब तक कि सदस्य को उनके द्वारा देय रकम उसे जमा करने का तकाजा, और रकम न चुकाने की स्थिति में हित नीलाम करा देने सम्बन्धी सूचना पत्र न दे दिया जावे ऐसा नोटिस डाकघर से रजिस्ट्री द्वारा उस समय अथवा पूर्व सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को यदि कोई हो, जो इन हितों का अधिकारी हो, पंजीयत पते पर भेज दिया जावेगा, और सूचना-पत्र मिलने के 7 दिन के भीतर यदि रकम जमा न हुई तो नीलाम किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 68 :

ऊपर बताये गये अधिकार के अनुसार नीलाम हो जाने पर संस्था क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम उन हितों के सम्बन्ध में जो बेचे गये हों, रजिस्टर में लिखेगी।

उपविधि क्रमांक - 69 :

नीलाम की रकम संस्था के ऋण पेटे जमा की जावेगी। यदि कुछ रकम बाकी बचेगी तो वह सदस्य को अथवा पूर्व सदस्य को वापिस दे दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 70 :

जबकि कोई ऋण उपविधि क. 64 के अनुसार एक मुश्त वसूल करना निश्चित हो तो ऋण का खाता बन्द करके मुद्दत बाकी रकम की तथा खाता बन्द करने की तारीख तक उस पर जो ब्याज हो, संस्था उसकी सूचना ऋणी सदस्य को देगी। इस रकम पर अथवा कुल रकम पर, जो उस समय बाकी निकलती हो, प्रचलित ब्याज दर से खाता बन्द करने की तारीख से वसूली तारीख तक ब्याज लिया जावेगा और वसूली के लिए वैधानिक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

परन्तु खाता बन्द करने के तीन माह के भीतर ऋणी की ओर से पूरी किश्त अथवा किश्तों की बाकी ब्याज सहित जमा होने पर संस्था बाकी रकम ऐसी किश्तों में जो पहले ही गिरवी नामें में लिखी थी देने की अनुमति ऋण से नया गिरवी नामा लिखने के बाद दे सकती है, परन्तु किश्तों को नई करने की अनुमति देने से पहले संस्था को ऋण देने वाली सहकारी बैंक या आवास संघ अथवा अन्य संस्था से स्वीकृति प्राप्त करना होगा।

उपविधि क्रमांक - 71 :

यदि कोई सदस्य उपविधि क. 12 के अनुसार निकाल दिया गया हो तो सदस्य के ऋण का खाता यदि कोई हो, उन प्रतिबन्धों को विचार में न लेते हुए जिनके अनुसार ऋण दिया गया था, बन्द कर दिया जावेगा और जो रकम ब्याज सहित उसकी ओर निकलती होगी, उसकी वसूली की कार्यवाही की जावेगी। खाता बन्द करने की तारीख से वसूली तक ब्याज प्रचलित ब्याज दर से लिया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 72 :

प्रत्येक ऋण लेने वाले सदस्य को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में उसकी आयु के बीमे की पालिसी को पूर्णतया अथवा अंशतया संस्था के अधिकार में अधिकृत(अथराइज्ड) करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे बीमे की पालिसी पूरी आयु की होनी चाहिए अथवा उस अवधि से कम की नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि संस्था का ऋण चुकाया जाना हो। ऐसे बीमे के पालिसी के प्रीमियम की रकम संस्था से दी जावेगी जो सदस्य के ऋण पेटे ली जानी तय हो।

उपविधि क्रमांक - 73 : सदस्य पास बुक :-

प्रत्येक सदस्य के पास एक पासबुक होगी। जिसमें प्रबन्धक ऐसी सब रकमों की प्रविष्टि करेगा जो उसको दी गई हों, अथवा उसकी ओर से जमा की गई हों।

उपविधि क्रमांक - 74 : अन्य पंजियाँ :-

1. संस्था को-(1) सदस्य पूँजी, (2) सदस्यता/त्यागपत्र आवेदन पंजी,, (3) केश बुक, (4) कार्यवाही पंजी, (5)ऋण खाता पंजी, (6) आवक पंजी, (7)जावक पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) स्टेशनरी पंजी, (10) रसीद कट्टा, । ये पंजियाँ रखना अनिवार्य होगा।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी पंजियों जिन्हें संस्था संधारित करना आवश्यक-समझें अथवा जो पंजियाँ आवास संघ अथवा पंजीयक द्वारा सामान्य या विशेष-आदेश द्वारा निर्धारित की जावें या अधिनियम, नियम उपविधियों में प्रावधानित हों, का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक - 75 : संस्था की मुद्रा :-

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबन्धक के पास रहेगी। यह मुद्रा ऐसे लिखित पर ही लगाई जायेगी जिस पर प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध समिति के ऐसे सदस्यों के हस्ताक्षर हों जिन्हें प्रबन्ध समिति ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक - 76 : लाभ :-

साधारण सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. कम से कम 25 प्रतिशत धन रक्षित निधि में,
2. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियमों के अनुसार जिला सहकारी संघ को अंशदान,
3. शेष राशि में से सदस्यों को उनके हिस्सों की वसूल आई हुई धनराशि पर लाभांश के रूप में वितरण जो 10 (दस) प्रतिशत वार्षिक से अधिक न होगा। परन्तु पंजीयक की पूर्वानुमति से लाभांश में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी।
4. शेष धन में संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1955 के प्रावधान के अनुसार बोनस,
5. अधिनियम की धारा 43 के अनुसार परोपकार सम्बन्धी आशय के लिए अंशदान दिये जाने हेतु निधि का निर्माण किया जा सकेगा जो चेरी टेबिल एन्डोमेंट एक्ट 1980 के प्रावधानानुसार संचालित होगा।
6. बाकी रकम रक्षित निधि में अथवा संस्था के सदस्यों के लिए सामाजिक, मनोरंजन व शैक्षणिक कार्यों की स्थापना हेतु निर्मित होने वाले भवन निर्माण आदि अन्य निधि में जमा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक - 77 :

हस्तांतरित किये हुए अंशों का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अन्तिम दिवस पर संस्था के रजिस्टर में अंकित हों।

उपविधि क्रमांक - 78 :

किसी ऐसे सदस्य को लाभांश नहीं दिया जावेगा जिसने अंशों की मांग की रकम संस्था से लिखी सूचना-पत्र मिलने पर एक महीने के भीतर जमा न की हो। ऐसा लाभांश संस्था की सम्पत्ति होगा।

उपविधि क्रमांक - 79 :

उपविधि क्र. 78 के अनुसार लाभ के भाग के अतिरिक्त जप्त अंशों की राशि तथा प्रवेश शुल्क, अमानत में कटी हुई राशि रक्षित निधि में जमा होगी। रक्षित निधि की राशि सदस्यों में वितरित नहीं हो सकेगी और न ही कोई सदस्य उसमें से कोई अंश पाने का अधिकारी होगा। इसका उपयोग साधारण सभा के ठहराव से और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की स्वीकृति उपरान्त संस्था को जो हानि हुई हो उसे दूर करने के काम में लिया जा सकता है।

रक्षित निधि का उपयोग अथवा विनियोजन पंजीयक के समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

संस्था के समापन के बाद रक्षित निधि तथा अन्य निधियों का जो धन शेष रहेगा, उसका विनियोग मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक - 80 : विवाद :-

संस्था के प्रबन्ध या कारोबार के सम्बन्ध में समस्त विवाद, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत हों, निर्णय के लिए पंजीयक को प्रस्तुत होंगे जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगे।

उपविधि क्रमांक - 81 : संशोधन :-

1. सिवाय आम सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उप-विधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा। सम्मेलन बुलाने के सूचना-पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा और सूचना-पत्र कम से कम 14 दिन पहले दिया

जावेगा । ऐसा संशोधन उस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि पंजीयक उसको स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर लें ।

2. उपरोक्त (1) के तहत प्राप्त संशोधन का पंजीयन सक्षम अधिकारी (उप/सहायक पंजीयक) द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश की पूर्व लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा ।

उपविधि क्रमांक - 82 : सूचना पत्र की तामीली :–

इन उपविधियों में जहाँ कहीं भी उल्लेख है कि किसी भी सदस्य को लिखित सूचना-पत्र दिया जावेगा तो ऐसा सूचना-पत्र ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जावेगा अथवा पंजीकृत डाक से उसके पते पर जो संस्था के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो, भेजा जावेगा ।

उपविधि क्रमांक - 83 :

1. अन्य बातें जिनका उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार की जावेंगी ।

2. उपविधियों की व्याख्या का अधिकार पंजीयक को होगा । व्याख्या के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों पर पंजीयक की राय अन्तिम होगी ।

3. संस्था के चुनाव मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, उसके अन्तर्गत निर्मित नियम इन उपविधियों तथा पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कराये जावेंगे ।

उपविधि क्रमांक - 84 :

संस्था मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल की सदस्यता ग्रहण करेगी एवं जिला सहकारी संघ की अनिवार्य रूप से समस्य होगी ।

उपविधि क्रमांक - 85 :

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1972 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर प्रबन्ध समिति संस्था का पता पंजीयक को प्रेषित करेगी । नियम 22 (3) में वर्णित प्रावधान अनुरूप संस्था के पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना

प्रबन्ध समिति द्वारा पंजीयक को तत्काल दी जावेगी और पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीयक द्वारा पंजीकृत करने के उपरान्त ही संशोधित माना जावेगा । पते में परिवर्तन को पंजीयक द्वारा पंजीकृत होने की सूचना की एक प्रति संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी ।

उपविधि क्रमांक - 86 :

संस्था राज्य शासन की आवास नीति के अनुसार कार्य करेगी । पंजीयक को यह अधिकार होगा कि वह संस्था को समय-समय पर संस्था या उसके सदस्यों के हित में अथवा राज्य शासन की आवास नीति का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दे सके और ऐसे निर्देशों का पालन करना संस्था के लिए बन्धनकारी होगा ।

संशोधित एवं पंजी

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें
जिला-भोपाल

"प्रारूप"

परिशिष्ठ 'एक'

... ... संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष,

... ...

गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,

... ...

महोदय,

मैं ... ... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ... का सदस्य बनना चाहता हूं। मुझसे सम्बन्धित व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है :—

1. पूरा नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. स्थाई पता : गली नं. लेन ... ...
 मोहल्ला वार्ड नं. ... ...
 ग्राम/शहर ... ...
 जिला ... ... (म. प्र.)
5. व्यवसाय

2. मैं स्वयं मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों में से कोई भी मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का सदस्य नहीं है।

3. मेरे स्वयं के नाम पर, मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम पर कहीं भी कोई आवासीय भू-खण्ड, भवन नहीं है। मैंने संस्था की उपविधियाँ देख ली हैं जो मुझे स्वीकार हैं। मैं संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु सभी निर्धारित योग्यता रखता हूँ।

4. संस्था की सदस्यता हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क रु. 50/- तथा अंश प्रदाय करने हेतु आवश्यक राशि रुपये 500/- अथवा 100/- जैसी भी स्थिति हो का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर नं. आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ... ... है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. आवेदन पत्र के साथ प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है। निवेदन है कि मुझे संस्था की सदस्यता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :— 1. ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर नं. ... ...
 2. शपथ पत्र
 3. आय प्रमाण पत्र
 (राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी का)

भवदीय

हस्ताक्षर ... ...

स्थान ... ...

दिनांक ... ...

संस्था की सदस्यता हेतु शपथ पत्र का प्रारूप :—
(नान जुडिशियल स्टाम्प पर)

शपथ–पत्र

नाम :
पिता का नाम :
आयु :
पता (पूर्ण) :
व्यवसाय :

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :—

1. मैंने .... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. .... की सदस्यता हेतु जो आवेदन दिया है, उस आवेदन पत्र में उल्लेखित मुझसे सम्बन्धित समस्त व्यक्तिगत जानकारी मैंने पढ़ ली है, जो सही है।

2. यह कि मेरे, मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम पर मध्यप्रदेश में कहीं भी कोई भवन/भू-खण्ड अथवा पलेट नहीं हैं।

3. यह कि मैं स्वयं, मेरी पत्नी/पति अवयस्क बच्चे मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी भी सहकारी गृह निर्माण संस्था के सदस्य नहीं हैं।

4. यह कि मुझ पर आश्रित वयस्क पुत्र/पुत्री के नाम पर मध्यप्रदेश में कहीं कोई आवासीय भू-खण्ड/भवन/पलेट नहीं हैं।

5. यह कि मैंने, मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों में से किसी ने भी पिछले 10 वर्षों में किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था से भू-खण्ड प्राप्त कर हस्तान्तरित नहीं किया है।

6. यह कि संस्था से भू-खण्ड प्राप्त होने पर, उस पर तीन वर्ष की अवधि में अथवा संस्था से लिखित अनुमति प्राप्त कर अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में उस पर आवासीय भवन का निर्माण कर लूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो भू-खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित होना मान लिया जावे जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. यह कि मैं संस्था से भू-खण्ड प्राप्त होने पर 10 वर्ष की अवधि तक उसका हस्तान्तरण नहीं करूंगा। यदि मुझे भू-खण्ड की आवश्यकता नहीं रही तो उसे मैं संस्था के पक्ष में समर्पित कर दूंगा।

स्थान :
दिनांक : शपथकर्ता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पेरा क्रमांक-1 से 7 लगायत तक उल्लिखित विवरण मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कोई गलत तथ्य नहीं है।

स्थान :
दिनांक : शपथकर्ता

परिशिष्ठ–"दो"

संस्था की सदस्यता से त्याग पत्र का प्रारूप

प्रति,

अध्यक्ष
... ...

गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
... ...

महोदय,

मैं ... ... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. ... ... का सदस्य हूं। मेरा सदस्यता नं. ... ... है। यह कि अब मैं संस्था से अपनी सदस्यता निम्नलिखित कारणों से वापस लेना चाहता हूं :–
कारण ... ...

2. निवेदन है कि संस्था की सदस्यता से मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाकर मेरे अंश की राशि निम्नलिखित पते पर लौटाने का कष्ट किया जावे।

पता :–
... ...
... ...
... ...

3. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है।
संलग्न : शपथ पत्र।

भवदीय

हस्ताक्षर ... ...
स्थान ... ...
दिनांक ... ...

सदस्यता से त्याग पत्र हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
(नान जूडिशियल स्टाम्प पर)

शपथ-पत्र

पूरा नाम :
पिता का नाम :
आयु :
स्थायी पता (पूर्ण) :
व्यवसाय :

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि :—

(1) मैं··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.··· ···· ··· का सदस्य हूं। मेरा सदस्यता नं.··· ··· ··· ··· ··· है।

(2) यह कि मैं संस्था की सदस्यता से त्याग पत्र हेतु आवेदन दे रहा हूँ। सदस्यता समाप्ति के आवेदन में उल्लेखित सभी बातें सही हैं। मैं यह त्याग-पत्र स्वेच्छा से निम्न-लिखित कारण से दे रहा हूं :—

कारण··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

स्थान : शपथकर्ता
दिनांक :

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक कथन सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 व 2 में उल्लेखित विवरण मेरी सर्वोच्च जानकारी के आधार पर सही है। इसमें कोई बात न तो गलत है और न ही छिपाई गई है।

स्थान : शपथकर्ता
दिनांक :

कार्यालय उप–पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला–भोपाल

(डी–ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल)

कमांक/पंजी./उपविधि संशोधन/गृ.नि./2022/872 भोपाल दिनांक 20/3/2023

आदेश

{म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(2) के अंतर्गत}

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (आगे जिले केवल 'अधिनियम' कहा गया है) व म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 (आगे जिसे केवल 'नियम' कहा गया है) में किये गये संशोधनों के अनुरूप गृह निर्माण सहकारी समितियों की उपविधियों में संशोधन करने हेतु आदर्श उपविधियों की प्रति आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र./गृ.नि./2013/1017, भोपाल दिनांक 02.12.2013 के द्वारा संलग्न कर तदनुसार संशोधन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तदुपरांत पत्र क्र./विधि/2015/181, दिनांक 23.05.2015 एवं पत्र क्र./गृ.नि./2022/61, भोपाल दिनांक 28.01.2022 के द्वारा भी अधिनियम एवं नियम में संशोधन के अनुरूप उपविधि में वांछित संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं।

राधिका **गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल**, पंजीयन क्र. डी.आर.बी. 318 .. दिनांक 8/2/83 (जिसे आगे केवल 'संस्था' कहा गया है) को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(1) के अंतर्गत इस कार्यालय के आदेश क्र./पंजी./संशो./2022/1021 दिनांक 01.04.2022 के साथ आदर्श उपविधियों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई थी तथा अपेक्षा की गई कि अधिनियम के प्रावधान अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तावित संशोधन अंगीकृत कर पंजीकृत किये जाने हेतु नियम के अनुसार आदर्श उपविधियों की चार प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। संस्था के द्वारा उक्तानुसार संशोधन प्रस्ताव अंगीकृत कर इस कार्यालय को सूचित नहीं किया गया है। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गयी इसके बावजूद संस्था के पूर्व पदाधिकारियों/सदस्यों या प्रशासक/परिसमापक के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। उपरोक्तानुसार यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि, संस्था को आदर्श उपविधियों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और संस्था आदर्श उपविधियों के प्रावधानों से सहमत है।

अतः मैं **विनोद कुमार सिंह, उप पंजीयक**, सहकारी संस्थायें जिला भोपाल अधिनियम की धारा 12 (2) के अंतर्गत सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी दिनांक 26.07.1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए, ... राधिका **गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी.** 318 ...., **दिनांक** 8/2/83 के पूर्व में किए गये समस्त संशोधनों को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए वर्तमान पंजीकृत उपविधि के स्थान पर संस्था के लिए अद्यतन संशोधित आदर्श उपविधि प्रतिस्थापित करते हुए पंजीकृत करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 20/3/23 को जारी किया गया।

(विनोद कुमार सिंह)
उप–पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि ..राजर्षि.............................. गृह निर्माण **सहकारी संस्था मर्या. भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी...318... दिनांक ..8/2/83..** के पूर्व में किए गये समस्त संशोधनों को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए वर्तमान पंजीकृत उपविधि के स्थान पर संस्था के लिए अद्यतन संशोधित आदर्श उपविधि प्रतिस्थापित की गई है, जो संस्था की अद्यतन पंजीकृत उपविधि होगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अद्यतन/पुनरीक्षित एवं पंजीकृत

आदर्श उपविधि

(विनोद कुमार सिंह)
उपपंजीयक
सहकारी संस्थायें जिला भोपाल

क्रमांक/पंजी./उपविधि संशोधन/गृ.नि./2022/872 भोपाल दिनांक..29/3/2022

प्रतिलिपिः–

01. अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/परिसमापक,..राजर्षि..........गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल की ओर संशोधित, पंजीकृत उपविधियों की प्रति संस्था अभिलेखो में सुरक्षित रखने हेतु प्रेषित है।
02. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थायें भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ
04. सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थायें जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उपपंजीयक
सहकारी संस्थायें जिला भोपाल

गृह निर्माण सहकारी संस्था की आदर्श उपविधियाँ

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी
अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अन्तर्गत)

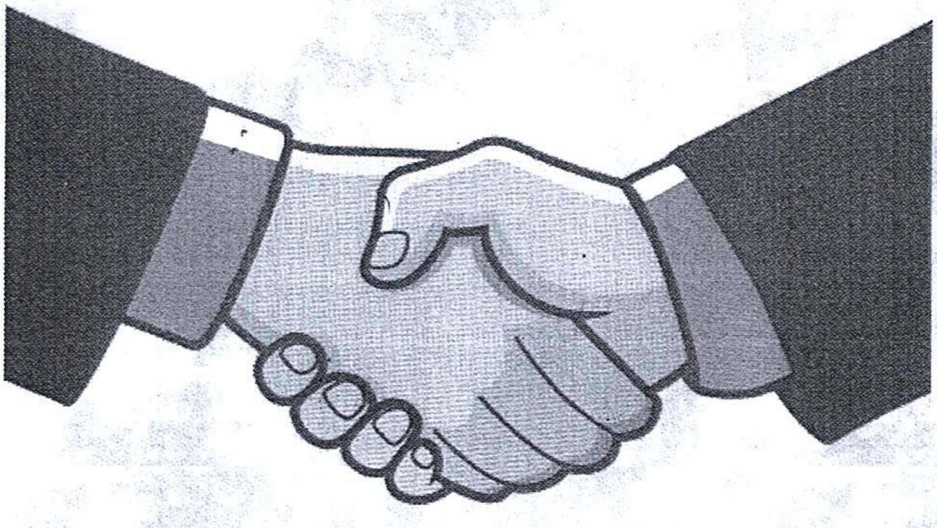

..........[illegible].......... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक/डी.आर.बी./....318...... दिनांक: 08/02/1983)

''गृह निर्माण सहकारी संस्था की आदर्श उपविधियाँ''

उपविधि क्रमांक 1 नाम पता एवं कार्यक्षेत्र :-

उप विधि संशोधन स्वीकृत एवं पंजीकृत

संस्था का नाम : ......साकल्प......... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल (म.प्र)

उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला भोपाल
पंजीयन क्रमांक/ डी.आर.बी. /318.....दिनांक 8/2/8

पंजीकृत पता : 17/16 सा 134 टी टी नगर ..... जिला भोपाल (म.प्र.) भोपाल

कार्यक्षेत्र : नगर निगम की सीमा तक सीमित रहेगा।
(संस्था का कार्यक्षेत्र संबंधित नगर निगम की सीमा तक ही समिति रहेगा)

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

(संस्था के पंजीकृत पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना पंजीयक को 30 दिन के भीतर दी जावेगी तथा पंजीकृत पता परिवर्तन संबंधी संशोधन पंजीकृत होने के तुरंत पश्चात संस्था के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जावेगा।)

उपविधि क्रमांक 2 परिभाषा :-

इन उपविधियों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

1. ''संस्था'' का अर्थ उपविधि क्रमांक-1 में वर्णित संस्था से है।

2. ''अधिनियम'' का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (1961 का 17वाँ) (यथा संशोधित) से है।

3. ''नियम'' का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 (यथा संशोधित) से है।

4. ''राज्य शासन'' का अर्थ मध्यप्रदेश शासन से है।

5. ''पंजीयक'' का अर्थ पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश या वह अधिकारी जिसे संस्था के संबंध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, से है।

6. ''उपविधि'' का अर्थ संस्था की पंजीकृत उपविधियों से है।

7. ''आवास संघ'' का अर्थ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल से है।

8. ''संचालक मण्डल'' का अर्थ अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत गठित प्रबंध समिति चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो।

9. ''कर्मचारी'' का अर्थ संचालक मण्डल द्वारा संस्था के कार्य संचालन के लिए नियुक्त सेवायुक्त कर्मचारी से है।

10. ''सहकारी वर्ष'' से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

11. ''सेवा नियम'' का अर्थ अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।

12. ''परिवार'' का अर्थ पति, पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चों से है। बच्चों में दत्तक बच्चे भी सम्मिलित माने जावेंगे।

13. ''विनिर्दिष्ट पद'' से अभिप्रेत है संस्था का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष।

14. ''प्रतिनिधि'' से अभिप्रेत है सोसायटी का ऐसा कोई सदस्य जो इस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करने के लिए संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित किया गया हो।

15. ''अंकेक्षक'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी से है।

16. ''आंतरिक अंकेक्षक'' से अभिप्रेत संचालक मण्डलद्वारा नियुक्त समिति के लेखा परीक्षक से है।

17. ''बोनस'' से अभिप्रेत है बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का स 21) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय भुगतान।

18. ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अधीन संस्था के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा जिसे प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो।

19. ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा गठिंत म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी।

20. ''रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' से अभिप्रेत है कि संस्था के निर्वाचन संचालन हेतु, निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी तथा इसमें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

21 ''रिटर्निंग अधिकारी''से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे प्राधिकारी ने साधारण/विशेष आदेश द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियुक्त किया हो कि वह अधिनियम एवं उसकें अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्ताव्यों का पालन करें तथा उसकी सहायता करने के लिये नियुक्त अन्य व्यक्ति भी शामिल होगा।

22. ''पोर्टल''संस्था से संबंधित समस्त जानकारियों जैसे की संस्था भूमि की भूमि, सदस्य संख्या, सदस्यों का विवरण, वरियता सूची, अन्य आवश्यकजानकारियों को एकजायी एवं डिजीटल करने के उददेश्य हेतु।

23. ''पेनकार्ड'' पेन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकांउट पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउट नम्बर है, पैन कार्ड 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक (अक्षर अंक) कोड होता है जिसे इन्कम टैक्स या आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय कर प्रणाली में पैन कार्ड का महत्वपूर्ण उपयोग होता है पैन कार्ड के माध्यम से ही आयकर विभाग को आपके सभी लेनदेन की जानकारी प्राप्त होती है, चाहे आपके अलग–2 बैकों में कितने भी अकांउट हो क्योंकि पैन कार्ड नम्बर यूनिक होता है, और एक व्यक्ति के दो पैनकार्ड नम्बर नही हो सकते, इनकम टैक्स रिर्टन भरने में, बैकिंग लनेदेन में शेयर मार्केटिंग आदि में कुल मिलाकर आपके सभी प्रकार के बैकिंग लेनदेन में, शेयर मार्केटिंग आदि में कुल मिलाकर उपयोगी है जिससे कोई भी व्यक्ति या संस्था टैक्स चोरी न कर सके।

24. आधार कार्ड – भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई–आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग (जेण्डर) कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निःशुल्क है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है।

उपविधि क्रमांक 3 उद्देश्य :-

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उनके निवास स्थान के लिए भूखण्ड/भवन/प्रकोष्ठ की व्यवस्था करना है तथा इसके लिए–

(क) अपने कार्यक्षेत्र के अंदर भूमि किराये (लीज) पर बदले में अथवा अन्य प्रकार से लेना या खरीदना या अर्जित करना।

(ख) सदस्यों के निवास के लिये कार्य क्षेत्र के अंदर भूमि खरीदना, विकसित करना, भूखण्ड अनुमोदित कराना, भूखण्ड आवंटित करना, सदस्यों के पक्ष में विक्रय कर पंजीयन कराना, और किराये पर देना एवं भवन निर्माण करना या करवाना।

(ग) संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु अपने कार्यक्षेत्र के अंदर भवनों को बेचना, बदली करना, गिरवी रखना, किराये पर देना, लीज अथवा सबलीज पर देना, समर्पित करना, भूखण्ड, भवन व अन्य चल अथवा अचल संपत्ति क्रय करना एवं बेचना।

(घ) सदस्यों को उनके आवास निर्माण के लिये नवीन मकान/प्रकोष्ठ बनाने हेतु एवं पुराने मकानों के स्थान पर नवीन मकान बनाने हेतु ऋण प्रदान करना।

(च) सदस्यों के भवनों में अतिरिक्त कार्य या मरम्मत आदि करना व करवाना।

(छ) जल प्रदाय, नाली, प्रकाश एवं समस्त आंतरिक व बाहय विकास करना व इसी प्रकार की अन्य आवश्यक उपयोगी व्यवस्था रखना और प्रदाय करना।

(ज) सदस्यों के लिए विकसित की जाने वाली कॉलोनी में सामाजिक, मनोरंजन तथा शैक्षणिक संरचना स्थापित करना और उन्हें चलना।

(झ) उक्त सभी या किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी आकस्मिक और उपयोगी कार्य करना।

(ट) सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता से उसके सदस्यों को सामान्य सुख सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना।

(ठ) ऐसी भूमि का विकास करना जो कि सोसायटी के साधारण उपयोग जैसे सामुदायिक भवन, स्कूल या अस्पताल या किसी अन्य प्रयोजन के लिये आरक्षित हो।

(ड) सदस्यों द्वारा भुगतान की गई सेवाओं का संधारण करना और उन्हें उपलब्ध कराना।

(ढ) संस्था के द्वारा केवल आवासीय भूमि ही क्रय की जावेगी ।

उपविधि क्रमांक 4 पूंजी एवं निधियाँ :-

संस्था द्वारा आवश्यक पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी–

1. अंश निर्वहन द्वारा।

2. प्रवेश शुल्क लेकर।

3. अमानते जमा कराकर या भूखण्ड अग्रिम, विकास अग्रिम हेतु धन लेकर।

4. ऋण लेकर।

5. अनुदान/सहायता/दान लेकर।

6. लाभ में से रक्षित निधि एवं अन्य निधियां बनाकर।

7. प्रबंध शुल्क एवं रख–रखाव शुल्क प्राप्त कर।

8. भूखण्ड हस्तांतरण शुल्क।

संस्था की पूंजी उपविधि क्रमांक–3 में उल्लेखित कार्यों में लगाई जावेगी। शेष पूंजी जब तक की उसकी अन्य कार्यों के लिये आवश्यकता न हो अधिनियम की धारा 44 के अनुसार विनियोजित की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 5 सदस्यता :-

(अ)- संस्था का सदस्य बनने के लिये अर्हताए -

1. वह संस्था के कार्यक्षेत्र का निवासी हो और उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिये हो।

2. उसका आचरण अच्छा हो।

3. उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और अनुबंध करने में सक्षम हो, परन्तु मृत सदस्यों के अल्पवय उत्तराधिकारियों के लिये आयु का प्रतिबंध लागू नही होगा तथा अवयस्क को न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुये करेंगे जो इन उपविधियों में अधिकार है।

4. उसने अंश क्रय हेतु रूपये 500/– की राशि व प्रवेश शुल्क रू. 50/– जमा कर दिया हो।

5. उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो।

6. उसे राजनैतिक ढंग की सजा को छोड़कर किसी नैतिक अधःपतन संबंधी अपराध से दंडित न किया गया हो, परन्तु यदि दंड की अवधि से पॉच वर्ष व्यतीत हो गये हो तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

7. उसे किसी सहकारी संस्था अथवा शासकीय सेवा से निकाला (डिसमिस) न गया हो।

8. वह अधिनियम की धारा 48–ए के अधीन निरर्हित न हो।

9. उप विधि क्रमांक 43 (1) के उपबंधों का पालन कर क्रय किये गये भूखंड/भवन/प्रकोष्ठ का क्रेता जो उपविधि के अंतर्गत सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। परन्तु ऐसा क्रेता यदि सदस्यता की पात्रता नहीं रखता है तो उसे नाम मात्र सदस्य बनाया जायेगा, जिसे संस्था के निर्वाचन एवं लाभ में हिस्सेदारी नहीं होगी।

10. यदि संस्था को गृह निर्माण प्रयोजनों के लिये भूमि शासन या किसी अन्य एजेन्सी से रियायती दर पर प्राप्त हुई है तो उसका नगर पालिका/नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्वयं के नाम अथवा पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम कोई भूखण्ड/भवन या बहुमंजिली इमारत में फ्लैट न हो।

11. किसी विशिष्ट वर्ग के सदस्यों हेतु बनी संस्था में केवल उसी वर्ग के सदस्य होंगे। इसी प्रकार किसी सदस्य द्वारा अपने भूखण्ड का विक्रय उसी वर्ग के सदस्यों को किया जा सकेगा।

12. यदि संस्था का गठन किसी विशिष्ट वर्ग के हेतु किया गया है, तो उस वर्ग के ही व्यक्तियों को संस्था का सदस्य बनाया जावेगा। विशिष्ट वर्ग ....
....
....

(ब) संस्था के निम्न व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेंगे :-

1. जिसके द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश में स्थित किसी सहकारी संस्था से कभी कोई प्लाट, भवन या प्रकोष्ठ प्राप्त कर या मकान बनाकर तत्पश्चात उसे बेच दिया गया हो तथा भू–खण्ड/भवन/ प्रकोष्ठ प्राप्त किए 7 वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो।

2. परन्तु यदि इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपरोक्त उपविधि क्रमांक 5 (अ) की कोई अर्हता रखता हो उसके सदस्य बनने के समय प्रभावशील उपविधियों के अन्तर्गत वह सदस्य बनने का पात्र रहा हो, सदस्य बनकर भू–खण्ड/भवन/प्रकोष्ठ आवंटित किया जा चुका है, तो उसे संस्था के सदस्य के रूप में प्राप्त अधिकार यथावत बने रहेंगे।

(स) संस्था की सदस्य संख्या :-

1. प्रथमतः संस्था की कुल सदस्य संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। संस्था उपलब्ध भूखण्ड,भवन,प्रकोष्ठ की सीमा तक सदस्य संख्या बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकेगी। संस्था से प्राप्त प्रस्ताव पंजीयक द्वारा पंजीकृत किये जाने के उपरांत संस्था सदस्य संख्या बढा सकेगी। ताकि सोसायटी का प्रत्येक सदस्य अपनी ज्येष्ठता के अनुक्रम में भूखण्ड/निवास गृह/प्रकोष्ठ प्राप्त कर सके और गृह निर्माण वित्त पोषण, सामान्य सुख सुविधाऐं प्राप्त कर सके।

2. संस्था उसी आवासीय भूमि पर सदस्य संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव पारित कर सकेगी जिसका स्वामित्व संस्था का हो व समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हो तथा उपलब्ध भूखण्ड/ भवन/ प्रकोष्ठ की संख्या स्पष्ट हो।

3. यदि संस्था में पूर्ववर्ती उपविधियों की अवधि तक यदि पंजीयक की स्वीकृति से सदस्य संख्या में वृद्धि की गई है तो सदस्य संख्या 30.... तक सीमित होगी।

(स्पष्टीकरण– सदस्य संख्या से तात्पर्य संस्था द्वारा बनाये गये कुल सदस्यों से है। इसमें जिन सदस्यों के द्वारा संस्था से त्याग पत्र दिया गया है एवं जिनको संस्था से निष्कासित किया गया है, सदस्या संख्या भी शामिल होगी। अर्थात संस्था में किसी भी प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या उपविधि में वर्णित प्रावधानों से अधिक नही होगी।

उपविधि क्रमांक 6 :- सदस्य बनने की प्रक्रिया:-

1. आरंभ में सदस्य वे होंगे जिन्होंने संस्था के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया हो। उसके उपरांत संचालक मण्डल की स्वीकृति से नए सदस्य सम्मिलित किए जावेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्ग के व्यक्ति को सदस्यता देने में प्राथमिकता दी जावेगी।

2. संस्था में आवेदन पत्र के साथ रू. 50/– प्रवेश शुल्क तथा रू. 500/– का अंश क्रय करने के लिये धन राशि जमा करना अनिवार्य होगा, किन्तु संशोधनों के पूर्व बन चुके सदस्यों को अतिरिक्त राशि के अंश क्रय करने अनिवार्य नहीं होंगे।

3. संस्था की संचालक मण्डल द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क एवं अंश क्रय के लिए जमा कराई गई राशि वापस कर दी जायेगी।

4. सदस्यता अंश क्रय करने के लिये संस्था के अध्यक्ष को इन उपविधियों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र देना होगा। सदस्यता के प्रार्थना पत्र के साथ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी की धारा 72–बी के प्रावधनों के अनुसार शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जिसमें उपविधि क्रमांक–5(अ) में सदस्यता हेतु जो अर्हताए दशाई गई है, वे अर्हताए आवेदक की है यह शपथपत्र पर सत्यापन व घोषणा करनी होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के प्रबंधक को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संस्था के पूर्व सदस्य से भूखण्ड क्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा भी उपरोक्त प्रक्रिया अनुरूप सदस्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

5 संस्था की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक द्वारा प्राप्त किया जावेगा और अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि संचालक मण्डल की आगामी बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुये सभी सदस्यता आवेदनों को संचालक मण्डल के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें, जिन पर प्रबंध समिति अधिनियम, नियमों व उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेगी।

6 किसी व्यक्ति को संस्था की सदस्यता तभी दी जा सकेगी जबकी :–

(1) उसने म0प्र0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 14 की शर्तें पूरी की हो।

(2) वह उपविधि क्रमांक–5(अ) में उल्लेखित अर्हताए रखता हो।

(3) उसने सदस्य बनने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो।

7. संचालक मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करे या उल्लेखित कारणों से अस्वीकृत करे, किन्तु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो संचालक मण्डल के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र की अस्वीकृति के 15 दिन के अंदर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिशः तालिमी के द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत होने संबंधी कारणों की लिखित जानकारी जिस पर संस्था के अध्यक्ष या प्रबंधक हस्ताक्षर करेंगे, संसूचित करे। निर्णय की सूचना अध्यक्ष प्रबंधक द्वारा भेजी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आवेदक संचालक मण्डल के निर्णय के विरुद्ध पंजीयक को अपील कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक - 7 सदस्यों के कर्तव्य :-

1. संस्था का प्रत्येक सदस्य, यथास्थिति, भूमि, विकास, सन्निर्माण, विधिक खर्चो, संधारण और सेवाओं के लागत के अपने शेयर के संदाय, संस्था की समिति द्वारा यथा निर्दिष्ट समय के भीतर करेगा।

2. यदि कोई सदस्य, विहित समय के भीतर भूमि, विकास और सन्निर्माण की लागत के ऐसे शेयर का संदान करने में असफल रहता है, तो संस्था ऐसी दर से ब्याज प्रभारित करेगी जिस पर कि गृह निर्माण सोसायटी, गृह निर्माण वित्त पोषण कर रही है और दो वर्ष की कालावधि से परे व्यतिक्रम जारी रहने की दशा में, वह यथास्थिति, भूखण्ड, निवासगृह या प्रकोष्ठ आवंटन निरस्त कर देगी।

3. यदि कोई सदस्य यथास्थिति, विधिक व्यय, अनुरक्षण तथा सेवाओं के अपने देयताओं का संदाय विहित समय के भीतर करने में असफल रहता है, तो संस्था तीन मास से अधिक की किसी कालावधि के लिये 20 प्रतिशत की दर से अधिभार अधिरोपित करेगी और यदि तीन मास से परे व्यतिक्रम जारी रहता है तो सेवाएं तुरंत बंद कर दी जायेगी।

4. संस्था का प्रत्येक सदस्य, साधारण सभा के प्रत्येक सम्मेलन में उपस्थित रहेगा जिसकी जानकारी उसे संस्था से प्राप्त होगी और समिति को पूर्व सूचना के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में प्रत्येंक व्यतिक्रम के लिये जैसा कि साधारण सभा द्वारा विनिश्चय किया जाय, रूपये 200.00 (रूपये दो सौ मात्र) से अनधिक के जुर्माने के संदाय करने का दायी होगा। परन्तु कोई भी जुर्माना तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

उपविधि क्रमांक 08 - सदस्यता से त्याग पत्र :-

संस्था का कोई भी सदस्य संस्था के इन उपविधियों के साथ संलग्न प्रारूप में लिखित आवेदन पत्र देकर सदस्यता समाप्ति हेतु निवेदन कर सकेगा, किन्तु ऐसे त्याग पत्र के साथ सदस्य को नोटरी द्वारा सत्यापित एक शपथपत्र जिसमें त्याग पत्र के कारणों का उल्लेख होगा संलग्न करना आवश्यक होगा। त्यागपत्र हेतु आवेदन संस्था के अध्यक्ष को संबोधित होगा और अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंधक को सौपा जा सकेगा। संस्था की संचालक मण्डलत्याग–पत्र प्राप्त होने पर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा त्याग पत्र को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी, किन्तु ऐसे आवेदन पत्र को जिसमें नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र संलग्न न हो, अपूर्ण त्याग पत्र माना जावेगा और स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यदि त्याग पत्र अस्वीकार किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने अनिवार्य होंगे।

उपविधि क्रमांक 09 सदस्यता से निष्कासन :-

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित संचालक मण्डलके बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों को 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से संस्था की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा, यदि वह

(1) कोई ऐसा कार्य जिससे कि संस्था की साख को क्षति पहुॅचने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना को साक्ष्य करता है या

(2) मिथ्या कथनों द्वारा संस्था को जानबूझकर प्रवंचित करता है, या

(3) कोई ऐसा कारोबार करता है जो संस्था द्वारा किए गए जाने वाले कारोबार के समान हो या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह संस्था द्वारा किए जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आता है, या

(4) अपने द्वारा देय धनों का भुगतान करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है।

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना की 15 दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो, एवं प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार न कर लिये गया हो।

उपविधि क्रमांक 10 सदस्यता की समाप्ति :-

निम्नलिखित में से किसी एक भी कारण से किसी भी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त की जावेगी :–

1. मृत्यु हो जाने पर।

2. उपविधि क्रमांक–08 के अनुसार त्याग पत्र स्वीकृत होने पर।

3. उसके द्वारा धारित अंश किसी अन्य को स्थानांतरित हो जाने पर।

4. उपनियम क्रमांक–09 के अन्तर्गत निष्कासित किये जाने पर।

5. सदस्य द्वारा संस्था से प्रदत्त भूखण्ड/भवन/प्रकोष्ठ विक्रय किया जाने पर।

6. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के उपरांत एक वर्ष की अवधि में कर देगी। किन्तु वह संस्था के उन सभी ऋणों के लिये देनदार होगा जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय थी।

उपविधि क्रमांक 11 सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके अंश तथा हित का अंतरण :-

संस्था के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके अंश तथा हितों का अंतरण म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 26 के अनुसार सदस्य के नाम निर्देशिती को किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 12 सदस्यों की पंजी :-

1. संस्था द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक–पृथक पंजियां संधारित की जावेगी। प्रथम पंजी में संस्था में नवीन सदस्यता प्राप्ति हेतु एवं सदस्यता समाप्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी पंजी (सदस्यता पंजी) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के संबंध में प्रविष्टि अंकित जावेगी। सदस्य संबंधी प्रविष्टियों में सदस्य का पेन नम्बर, आधार नम्बर, वोटर कार्ड व मोबाईल नम्बर, ई–मेल आईडी अनिवार्य रूप से अंकित किए जावें। इन दोनों पंजियों में प्रविष्टियाँ क्रमानुसार ही की जावेगी और किसी भी स्थिति में इसका कोई अपवाद नहीं होगा।

2. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता के रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर करने होंगे और अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसको कि सदस्य की मृत्यु पर विधिवत संपत्ति/देयताओं के संबंद्ध में समस्त उत्तराधिकार अंतरित होगा। उत्तराधिकारी मनोनीत करने के उपरांत यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो नए उत्तराधिकारी के नाम दो साक्षियों के समक्ष लिखा जा सकेगा तथा आवेदक व साक्षियों के हस्ताक्षर लिये जावेंगें।

3. प्रत्येक सदस्य को लिखकर देना होगा कि संस्था की उपविधियों का और उपविधियों में जो भी संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में होगें, वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

उपविधि क्रमांक 13- सदस्यों की सूची:-

संस्था द्वारा सदस्यों की सूची जिसमें सदस्य का नाम, उसका सदस्यता क्रमांक पिता और माता का नाम उसकी जन्मतिथि आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर तथा आयकर की स्थाई लेखा संख्या यदि कोई हो समाविष्ट करते हुए रखी जाएगी। ऐसी सूची सदस्य के सोसायटी में प्रवेश के क्रमानुसार तैयार की जावेगी। ऐसी सदस्य सूची संस्था द्वारा प्रत्येक सहकारिता वर्ष के अंतिम दिवस पर प्रकाशित की जायेगी। उक्त सूची सोसायटी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 14- सदस्यों की प्राथमिकता सूची:-

संस्था अधिनियम की धारा 72बी/ख के प्रावधानों के अनुसार भूखण्ड आवंटन के लिये प्रतिवर्ष एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी और यदि सूची में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित सदस्य को भेजी

जायेगी और ऐसी परिवर्तित सूची की एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक जिले के उप/सहायक रजिस्ट्रार को भी भेजी जायेगी तथा अंतिम प्राथमिकता सूची के आधार पर सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किऐ जायेगें और ऐसी सूची जनसाधारण को सोसाइटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी और वेबसाइट को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जायेगा। यह और भी कि संस्था अपनी सदस्यता सूची और प्राथमिकता सूची के साथ अपना वार्षिक तुलन–पत्रक तथा आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टिया जिले के उप रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी तथा यह जानकारी जन साधारण को सोसायटी की वेबसाइट पर भी उपलबध कराई जायेगी।

उपविधि क्रमांक 15 नाम मात्र का सदस्य :-

संस्था से व्यवसायिक संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसे ठेकेदार, सप्लायर्स विक्रेता, एजेंट, प्रकोष्ठ स्वामी तथा उनके जमानतदार को संचालक मण्डलनाम मात्र का सदस्य बना सकेगी। नाम मात्र के सदस्य को अंश विक्रय नहीं किये जावेंगे किन्तु उनसे रूपये 500/– का शुल्क प्रति व्यक्ति लेकर नाम मात्र की सदस्यता प्रदान की जावेगी। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंध मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेंगे। संस्था के साथ वित्तीय संबंध बने रहने तक वे नाम मात्र सदस्य बने रहेंगे।

सहकारी संस्थायें पंजीयक जिला-भोपाल

उपरोक्त नाम मात्र के सदस्यों के अतिरिक्त संस्था की कॉलोनी में किसी सदस्य के भवन में निवासरत किराएदार व संस्था के किसी सदस्य से भू–खण्ड/भवन/प्रकोष्ठ क्रय करने वाले व्यक्ति, जिन्हें सदस्यता प्रदान नहीं की जा सकती है को भी रूपये 500 की शुल्क जमा करवा कर संचालक मण्डल नाम मात्र का सदस्य बना सकेगी। ऐसे नाम मात्र के सदस्य संस्था द्वारा निर्धारित रख रखाव राशि जमा कर संस्था द्वारा विकसित कॉलोनी में सामान्य सुविधाऐं प्राप्त कर सकेंगे किन्तु उन्हें संस्था के प्रबंध मतदान में भाग नहीं लेने की पात्रता नही होगी।

उपविधि क्रमांक 16 अंशपूंजी :-

1. संस्था की अधिकृत अंशपूंजी रू. 5,00,000/– (रूपये पांच लाख) होगी जिसमें हजार–हजार सौ रूपये के पांच सौ अंश होंगे। अधिकृत अंशपूंजी में से रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) के दो सौ अंश संस्था के सदस्यों को सदस्यता हेतु दिये जावेंगे। शेष राशि रूपये 1,00,000/– के अंश सदस्यों को ऋण स्वीकृति हेतु दिये जावेंगे।

   (स्पष्टीकरण– यदि सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो सदस्य संख्या के अनुपात में अधिकृत अंश पूंजी की राशि को अधिकतम सदस्य संख्या के अनुपात में दर्ज की जावे, यदि सदस्यों की संख्या में पंजीयक की अनुमति से बढ़ाई जा रही है तो अंश पूंजी में भी वृद्धि करनी होगी।)

2. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता प्राप्ति के समय रू. 500/– के अंश क्रय करना अनिवार्य होगा, यदि सदस्य द्वारा संस्था से ऋण लिया जाता हो तो सदस्य को संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण राशि के अनुपात में ऋण हेतु अतिरिक्त अंश लेना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में यह अनुपात 1:10 से कम नही होगा।

3. कोई भी सदस्य संस्था की प्रदत्त अंशपूंजी के 1/5 भाग अथवा रूपये 20000.00 (बीस हजार) जो भी कम हो, से अधिक के अंश नहीं ले सकेगा।

उपविधि क्रमांक 17 अंश प्रमाण पत्र :-

अंश प्रमाण पत्र प्रत्येक क्रय किये गये अंश अथवा अंशो के लिए दिया जावेगा जिस पर अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी। किसी सदस्य को सीधे अपने अंश अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति संस्था का सदस्य न हो अथवा जिसने संस्था के सदस्य बनाना स्वीकृत न किया हो और प्रत्येक स्थिति में हस्तांतरण उस समय तक नहीं हो सकेगा जब तक कि अंश का हस्तांतरण संस्था के

रजिस्ट्ररों में नहीं लिखा जाता, उस समय तक जिसके नाम से हस्तांतरण होगा उसका कोई अधिकार समिति के विरूद्ध प्राप्त नही होगा न उसका परिणाम उस विवाद पर होगा जो संस्था ने अंश हस्तांतरण करने वाले पर किया हो।

उपविधि क्रमांक 18 अंशों की वापसी :-

किसी सदस्य को उसके अंश की रकम वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा पर यदि संचालक मण्डल चाहे तो किसी सदस्य को जिसने संस्था की समस्त देनदारी चुका दिया हो, एक अंश रकम जमा रख शेष अंशों की रकम वापिस लेने की अनुमति दे सकती है। परन्तु संस्था प्रत्येक सहकारी वर्ष में उसकी प्रदत्त अंशपूंजी का 1/10 भाग तक ही सदस्यों को वापस कर सकेगी। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इससे अधिक अंश राशि एक वर्ष में वापस करना आवश्यक हो तो विशेष परिस्थिति दर्शाते हुये पंजीयक, से पूर्वानुमति प्राप्त कर अंश राशि वापस की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक 19 सदस्य का दायित्व :-

सदस्य का दायित्व संस्था द्वारा उसको प्रदत्त अंशों की राशि तक सीमित रहेगा किन्तु जो संस्था से ऋण अथवा अमानतें आदि ले ऐसे सदस्यों को दायित्व उनके अंशो के दर्शनी मूल्य के आठ गुने तक सीमित रहेगा।

उपविधि क्रमांक 20 ऋण तथा अमानते प्राप्त करना :-

संस्था अपनी कुल प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के पश्चात, शेष निधि के 12 गुने तक ऋण और अमानत ले सकेगी।

2. संस्था अपने सदस्यों के लिए भवन निर्माण करने के उद्देश्य से प्राप्त की गई भूमि पर आवासीय भवन निर्माण एवं कॉलोनी विकास हेतु आवास संघ, सहकारी बैंकों, ऋण देने वाली संस्थाओं अथवा शासन से ऋण ले सकेगी।

3. संस्था अपने सदस्यों से उस ब्याज दर पर जो पंजीयक द्वारा मान्य किए गए हो तथा ऐसे प्रतिबंधों के साथ जो संचालक मण्डल निश्चित करे, अमानते प्राप्त कर सकती है, किन्तु किसी भी दशा में राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा अमानतों पर देय निर्धारित ब्याज दरों से अधिक ब्याज देय नहीं होगा।

4. संस्था द्वारा लिए ऋणों के लिए अलग से पंजी रखी जावेगी जिसमें जिस प्रभार पर ऋण लिया गया हो उसकी प्रविष्टि होगी और समय–समय पर चुकाए गए ऋण मुक्त प्रभार की प्रविष्टि होगी।

5. संस्था द्वारा जिस प्रभार पर ऋण लिया गया है ऐसे समस्त प्रभारों की सूची और लिए गए ऋण की जानकारी संस्था अपनी साधारण सभा की बैठक में सदस्यों के समक्ष करेगी।

उपविधि क्रमांक 21 साधारण सभा (व्यापक सम्मेलन) :-

संस्था के कारोबार के संबंध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति के छः मास के भीतर संस्था की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो, संचालक मण्डल किसी भी समय और रजिस्ट्रार के निर्देश अथवा संस्था के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें साधारण सभा बुलाए जाने का उद्देश्य हो, एक माह के भीतर विशेष साधारण सम्मिलन बुलाई जावेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात सदस्यों की जो प्रथम साधारण सभा होगी उसको वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक साधारण सभा को दिए गए है।

साधारण सभा की सूचना सभा की तारीख से कम से कम पूर्ण 14 दिन पूर्व सभी सदस्यों एवं ऐसे अधिकारी जिसे संस्था के रजिस्ट्रीकरण की शक्ति निहित हो को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। पंजीयक अथवा ऐसे अधिकारी स्वयं

उपस्थित हो सकेगा अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। पंजीयक अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को साधारण सभा को संबोधित करने का अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक 22 गणपूर्ति (कोरम) :-

साधारण सभा अथवा विशेष साधारण सभा की बैठक के लिए साधारण सभा/विशेष साधारण सभा की दिनांक को संस्था की कुल सदस्यता संख्या का 1/10 अथवा 50 सदस्य इनमें से जो भी कम हो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।

यदि सम्मिलन के लिये नियत समय के आधा घण्टा के भीतर गणपूर्ति न हो तो, सम्मिलन जब तक कि ऐसे सम्मिलन के सूचना पत्र में अन्यथा उल्लेखित न हो सभापति द्वारा बैठक ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दी जावेगी जैसा कि सम्मिलन के सूचना पत्र मे घोषित किया हो और स्थगित सम्मिलन के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। स्थगित बैठक में परिचालित की गयी कार्यसूची के विषयों पर ही चर्चा की जावेगी, परन्तु यदि बैठक अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन पंजीयक की अथवा संस्था के सदस्यों के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों से लिखित अध्यापेक्षा पर बुलाई गयी हो तो उक्त बैठक स्थगित नहीं की जावेगी बल्कि निरस्त कर दी जावेगी। ऐसी निरस्त बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक होगी।

उपविधि क्रमांक 23 बैठक की सूचना :-

1. साधारण सम्मिलन की कार्य सूची, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 स्पष्ट दिवस पूर्व दी जावेगी।

2. उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूप रेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

3. साधारण सभा/ विशेष साधारण सभा की बैठक की सूचना निम्न प्रकार से दी जावेगी।

(अ) साधारण सम्मिलन की सूचना साधारण डाक से (जिन स्थानों पर बिजनेस पोस्ट की सुविधा हो तो उसके माध्यम से) प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी एवं सूचना संस्था के कार्य क्षेत्र में परिचालित अधिकतम दो स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

(ब) 14 स्पष्ट दिवस पूर्व साधारण डाक से जारी की गई सूचना समय पर तामील न होने के कारण बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक 24 साधारण सभा के अधिकार :-

वार्षिक साधारण सभा में उन कार्यों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो, निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. इन उपविधियों के अनुसार क्रियाकलापों की आगामी वर्ष की संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करना।

2. वार्षिक वित्तीय पत्रक और उससे संबंधित संचालक मण्डलकी रिपोर्ट पर विचार करना।

3. शुद्ध लाभ के व्ययन पर निर्णय।

4. संस्था के आगामी वर्ष का बजट स्वीकृत करना।

5. संस्था की सम्परीक्षा रिपोर्ट पारित करना ।

6. संस्था के ऑडिट तथा निरीक्षण टीप पर संचालक मण्डल द्वारा जो कार्यवाही की गई हो उसे देखना और जहाँ आवश्यकता हो उचित आज्ञये देना।

7. वित्तीय वर्ष में कार्य संचालन के कारण हुये घाटे के कारणों का परीक्षण करना।

8. लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिये, संपरीक्षक की नियुक्ति करना।

9. संस्था के कार्य की देखभाल करने हेतु एक आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना और उसका पारिश्रमिक निश्चित करना।

10. संस्था के कार्य संचालन के लिए उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना।

11. संचालक मण्डल के सदस्यों, पर बकाया ऋण व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत होना।

12. संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन अपेक्षित हो तो निर्वाचन करना।

13. यह निश्चित करना की अमानते कितनी, किस अवधि के लिए और किस ब्याज दर से ली जावे।

14. भूखण्ड/भवन/प्रकोष्ठ की दर तय करना तथा भूखण्ड आवंटन सूची का अनुमोदन करना।

15. कॉलोनी के विकास हेतु एस्टिमेट अनुमोदन करना तथा उसमें समय समय पर परिवर्तन स्वीकृत करना।

16. अन्य बातों पर विचार करना जो संचालक मण्डल अथवा सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किए जावे।

उपविधि क्रमांक 25 साधारण सभा में अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना :-

साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी सदस्य कार्य सूची में न दिया हुआ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु ऐसा प्रस्ताव किसी सदस्य के निकाल दिए जाने अथवा निकले हुए सदस्य को पुनः प्रवेश देने अथवा उपविधियों में संशोधन करने अथवा ब्याज की दर में कमी या वृद्धि करने के संबंध में नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक 26 साधारण सभा की अध्यक्षता :-

संस्था की साधारण/विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में अन्य सदस्यों में से जिसको उपस्थित सदस्य चयनित करें, करेगा।

परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि अधिनियम की धारा 49 (7 –क) (ख) के तहत पंजीयक द्वारा संस्था का कार्यभार गृहण कर लिया गया हो अथवा धारा 53 के तहत संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया गया हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा की जावेगी। संस्था के निर्वाचन की विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जावेगी।

साधारण सभा का कार्यवाही विवरण कार्यवाही पंजी में अभिलिखित कियाजावेगा। कार्यवाही विवरण के अन्त में साधारण सभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति एवं प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा। साधारण सभा का कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि संस्था के सभी सदस्यों/जिले के उप/सहायक पंजीयक को साधारण सभा सम्पन्न होने के 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी।

उपविधि क्रमांक 27 मताधिकार :-

साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होगा, भले ही उसने संस्था के कितने भी अंश लिए हो। कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उसी सदस्य को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा जो संस्था का कम से कम एक अंश का धारक हो और जिसकी मतदान दिनांक से कम से कम 4 माह पूर्व संचालक मण्डल द्वारा सदस्यता स्वीकृत हो गई हो।

उपविधि क्रमांक 28 निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया:-

संस्था के निर्वाचन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के अध्याय 5–क में दी गयी निर्वाचन संचालन की प्रकिया के अनुसार संपन्न कराये जावेगें। संस्था के निर्वाचन का संचालन करने हेतु अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ''प्राधिकारी'' में विहित होगा एवं प्राधिकारी के आदेशों का पालन संस्था की बर्हिगामी संचालक मण्डलके लिये अनिवार्य होगा। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार निर्वाचन प्रकिया संपन्न कराने हेतु आवश्यक समस्त कार्यवाहियॉं निर्धारित समय–सीमा में करना तथा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी को वांछित सहयोग करना बहिर्गामी कमेटी एवं प्रबंधक के लिए बंधनकारी होगा।

उपविधि क्रमांक 29 संचालक मण्डल का गठन :-

1. संचालक मण्डल में कुल 14 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य निर्वाचित किए जायेगे, निर्वाचित सदस्यों में से 2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे। यदि संस्था में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्य हो तो एक स्थान उस प्रवर्ग के लिए आरक्षित रखा जायेगा जिसके अन्य की अपेक्षा अधिक सदस्य हो। निर्वाचित 11 सदस्यों के अतिरिक्त संचालक मण्डल में 03 पदेन/नामांकित सदस्य होगें जिनमें से 01 पद जिले के उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं द्वारा नामांकित कार्यपालिक कर्मचारी जो सहकारी निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का नहीं होगा धारित किया जावेगा, 01 पद म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक द्वारा मनोनीत/नामांकित किया गया कोई अधिकारी/कर्मचारी जो आवास पर्यवेक्षक से अनिम्न श्रेणी का नहीं होगा द्वारा धारित किया जावेगा तथा 01 पद संस्था के प्रबंधक द्वारा धारित किया जावेगा होगा।

2. आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा न भरे जाने की स्थिति में संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के पश्चात सहयोजन के लिए आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा करेंगे जिसके लिए स्थान आरक्षित है। किन्तु गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा।

3. आरक्षित स्थान निर्वाचन अथवा सहयोजन द्वारा न भरे जाने की दशा में पंजीयक उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके लिए कि वह स्थान आरक्षित है नामांकन द्वारा पूर्ति करेंगे।

4. संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन होने पर संचालक मण्डल अपने में से अध्यक्ष एवं 2 उपाध्यक्षों का निर्वाचन करेगी।

5. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय अन्य संस्थाओं में संस्था की ओर से प्रतिनिधि करने हेतु प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन करेगी।

6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा संचालकों के सहयोजन की बैठक की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी करेगा।

7. संचालक मण्डल की बैठक के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की 50 प्रतिशत से अधिक होगी का प्रावधान है, इसमें 50 प्रतिशत की गणना उपविधि कमांक 29 (1) में दी गई कुल संख्या से की जावेगी।

8. संचालक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा। पॉच वर्ष की अवधि की गणना संचालक मण्डलकी प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ हो, के दिनांक से होगी। संचालक मण्डल के कार्यकाल के पॉच वर्ष पूर्ण होने के दिन से संचालक मण्डल के सदस्यों के पद स्वतः रिक्त हो गए समझे जायेंगे और पंजीयक या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा।

9. संस्था के पंजीयन के समय गठित अंतरिम संचालक मण्डल का कार्यकाल केवल तीन माह तक का होगा। तीन माह की अवधि में ही नवीन संचालक मण्डल का निर्वाचन कराना होगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में पंजीयक की अनुमति से गठित अंतरिम कमेटी के कार्यकाल में अधिकतम तीन माह की वृद्धि और की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक 30 संचालक मण्डल के सदस्य के लिए अनर्हताएं :-

कोई भी व्यक्ति संचालक मण्डलके सदस्य के रूप में निर्वाचित होने हेतु पात्र नहीं होगा तथा उस रूप में अपने पद पर नही रहेगा यदिः–

1. वह संस्था या किसी अन्य संस्था से लिए हुए किसी ऋण या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का व्यतिक्रमी हो। ऐसे सदस्य को संचालक मण्डल के निर्वाचन में मताधिकार का अधिकार भी नहीं रहेगा।

2. संस्था में किसी लाभ के पद पर है अथवा स्वीकार कर ले।

3. अधिनियम व नियमों के किसी प्रावधान के तहत संचालक मण्डल में पद धारण करने के लिए अयोग्य हो गया हो।

4. उसी प्रकार का धंधा करता हो जो संस्था करती है।

5. संस्था के किसी कर्मचारी का निकट संबंधी हो या हो जावे।

6. निर्वाचन दिनांक से 12 माह से अधिक समय पूर्व से संस्था का सदस्य न हो। परन्तु यह प्रतिबंध संस्था के पंजीयन के पश्चात संचालक मण्डल के होने वाले प्रथम निर्वाचन के समय लागू नहीं होगा।

7. कोई भी व्यक्ति संस्था की संचालक मण्डल के सदस्य, पदाधिकारी या प्रतिनिधि के रूप में अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि उसके नाम से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के समय म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय कोई शोध्य 6 माह से अधिक की कालावधि के लिए बकाया हो।

8. यदि कोई संचालक, पदाधिकारी, प्रतिनिधि सहकारी अधिनियम की धारा 50(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता से ग्रस्त हो तो ऐसे पद पर नहीं रह पाएगा एवं पंजीयक अधिनियम की धारा 50(क) के अंतर्गत उसका पद रिक्त घोषित कर देगा। संस्था के प्रबंधक का दायित्व होगा कि ऐसे संचालक/प्रतिनिधि की जानकारी ऐसी निरर्हता धारण करने के 15 दिवस के भीतर पंजीयक को प्रस्तुत करे।

9. यदि संचालक मण्डल का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में संचालक मण्डल की अनुमति के बिना अनुस्थित रहता है तो संचालक मण्डल उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद संचालक मण्डल की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक संचालक मण्डल का सदस्य नही चुना जा सकेगा।

10. गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में अवैध क्रय–विक्रय को रोकने के लिये संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन/सहयोजन हेतु सदस्य का 05 वर्ष पुराना सदस्य होना आवश्यक होगा तथा संस्था का पुराना निर्धारित ड्यू जामा करना अनिवार्य होगा।

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला-भोपाल

उपविधि क्रमांक 31 प्रतिनिधि का निर्वाचनः-

अन्य सहकारी संस्थाऐं जिनकी संस्था, सदस्य हो, में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन संचालक मण्डल की प्रथम बैठक में जिसकी अध्यक्षता, रिटर्निंग अधिकारी करेगा, में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन के समय किया जावेगा। अन्य संस्था के लिए संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, संस्था की संचालक मण्डल के कार्यकाल के साथ–साथ चलेगा, परन्तु यदि ऐसे प्रतिनिधि जो अन्य संस्था की संचालक मण्डल में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते है, उस संस्था की प्रबंध समिति के, जिसके लिए वे निर्वाचित हुये हो कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।

उपविधि क्रमांक 32 संचालक मण्डल में रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

संचालक मण्डल में आकस्मिक रिक्तियों को यदि संचालक मण्डल की शेष अवधि उस तारीख को जिसको कि ऐसी रिक्ति हुई है, दो वर्ष या उससे कम है तो उसी वर्ग के सदस्यों के सहयोजन द्वारा भर सकेगा, परन्तु यदि संचालक मण्डल के सदस्यों की शेष अवधि दो वर्ष से अधिक है और जहॉं निर्वाचन के पश्चात स्थान रिक्त रह जाता है या कोई आकस्मिक रिक्त हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति सदस्यों के उसी वर्ग से जिसके कि संबंध में रिक्त उद्‌भूत हुई है, निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी। सहयोजन की कार्यवाही रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में ही सम्पन्न की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 33 - संचालक मण्डल की बैठकें, कार्य सूची, प्रस्तावों पर निर्णय एवं कार्यवाही अंकित करना :-

1 संचालक मण्डल के बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी, परन्तु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक अवश्य बुलाई जावेगी।

2 बैठक की कार्यसूची, समय, तारीख तथा स्थान की सूचना जो अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी, बैठक के सात दिन पहले जारी की जावेगी। सूचना पत्र रजिस्टर्ड डॉक से अथवा व्यक्तिशः तामील कराया जावेगा अथवा नामांकित सदस्य के कार्यालय पर व अशासकीय सदस्य के निवास स्थान पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधी बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जावेगा। चलित बैठक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

3 सब प्रस्तावों का निर्णय बहुमत से किया जावेगा। दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कोई ऐसा प्रश्न जिसमें संचालक मण्डलके सदस्य किसी सदस्य का निजी संबंध हो तो उस समय वह सदस्य संचालक मण्डलकी बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

4 वे सभी विषय जो संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत हुए हो और जिनके संबंध में चर्चा अथवा निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तक में लिखे जावेगें। कार्यवाही विवरण प्रबंधक द्वारा लिखा जावेगा और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर नाम सहित किये जावेंगे। कार्यवाही पंजी संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी। अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक समाप्त होने के तत्काल बाद प्रस्ताव/ठहराव के विवरण के ठीक नीचे लिखे जावेंगे। जिन संस्थाओं में स्थाई वेतनिक प्रबंधक नियुक्त नहीं है उनमें कार्यवाही विवरण अध्यक्ष द्वारा लिखा जावेगा एवं कार्यवाही पंजी अन्य अभिलेखो के साथ ही अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी।

संचालक मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण सभी आंमत्रित संचालकों/जिले के उप/सहायक पंजीयक को बैठक संपन्न होने के 30दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। कार्यवाही विवरण भेजने में असफल रहने पर जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध पंजीयक द्वारा शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। परन्तुक संस्था में प्रबंधक की नियुक्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही से कार्यवाही के 15 दिवस में जिले के उप/सहायक पंजीयक को अनिवार्यता अवगत कराया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 34(1) संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. उन ठहरावो का पालन करते हुए जो साधारण सभा समय–समय पर पारित करें–

(क) सदस्यों की आवास समस्या की पूर्ति हेतु भूमि मोल लेना, प्राप्त करना पट्टे पर लेना। परन्तु ऐसी भूमि ही ली जा सकेगी, जो मास्टर प्लान में आवासीय हो का प्रावधान किया गया है।

(ख) गिरवी रखना, किराए पर देना, अपने पास रखना, अपनी भूमि शिकमी पट्टे पर देना।

(ग) भूमि का निर्धारित मापदण्ड अनुसार विकास कार्य कर भवन बनाने योग्य बनाना, भवन बनाना, नालियाँ बनवाना एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था करना

(घ) अन्य ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त कार्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो।

(ड) सस्था की ऐसी भूमि जिसका उपयोग सदस्यों के हित में भूखण्ड या प्रकोष्ठ बनाना संभव न हो पंजीयक की अनुमति से विकय करना।

2. संस्था के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको अधिकार देना, दंडित, करना, पदोन्नत करना, उन्हें अवकाश स्वीकृत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति लेना।

3. साधारण सभा द्वारा स्वीकृत बजट के अंदर खर्च करना।

4. नए सदस्यों की सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता, एवं अंश वापसी संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना।

5. संस्था के काम–काज संबंधी शिकायतों को सुनना और उसका निराकरण करना।

6. आवश्यकतानुसार संस्था की ओर से ऋण लेना और यह तय करना कि ऋण दस्तावेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।

7. सदस्यों के त्याग पत्र स्वीकार करना और उनके निष्कासन पर निर्णय लेना।

8. अमानते प्राप्त करना।

9. प्रबंधक के कार्यों की जॉच करना और यह देखना कि संस्था के हिसाब से तथा अन्य रजिस्टर ठीक प्रकार से रखे जाते है।

10. जो वैधानिक कार्यवाही अथवा वाद संस्था की ओर से अथवा उनके किसी अधिकारी के अथवा कर्मचारी के विरूद्ध संस्था के कारोबार के संबधं में हो उनमें पैरवी करना, समझौता करना अथवा वाद वापस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिए संस्था के किसी संचालक या कर्मचारी को अधिकृत करना।

11. पंजीयक, सहकारी अंकेक्षक तथा विभागीय अधिकारियों तथा ऐसी शीर्ष/केन्द्रीय संस्था जिसकी वह संस्था सदस्य हो के अधिकारियो को निरीक्षण हेतु संस्था के कागजात रजिस्ट्रर प्रस्तुत करना और उनके अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीपों का पालन करना और उनका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपने पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

12. वार्षिक कार्य योजना बनाना और आगामी वर्ष के लिए बजट बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

13. पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षक शुल्क आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अंदर शासकीय कोषालय में जमा करना।

14. संस्था की ओर से जिनमें संस्था संबंद्ध हो केन्द्रीय सहकारी बैंक या अन्य सहकारी संस्थाओं के अंश क्रय करना, अंश वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।

15. अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पूंजी का विनियोजन करना।

16. अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों के अनुसार आमसभा/विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाना।

17. प्रबंध समिति, के गठन के समय सदस्यों में से अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों को निर्वाचन करना।

18. प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च पर संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर पंजीयक को प्रस्तुत करना।

19. संचालक मण्डलके सदस्यों के त्याग–पत्र प्रस्तुत होने से उन पर विचार करना एवं स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

20. संस्था के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन के पश्चात पंजीयक से पूर्वानुमोदन लेकर तदनुसार कार्य करना।

21. प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंत में साधारण सभा द्वारा अनुमोदित सदस्यों की प्राथमिकता सूची का प्रकाशन करना। प्राथमिकता सूची में सदस्य को आवंटित भूखण्ड तथा सदस्य के पक्ष में रजिस्ट्री संबंधी विवरण भी दर्शाया जावेगा। प्राथमिकता सूची का प्रकाशन संस्था के कार्यालय, उप/सहायक पंजीयक कार्यालय तथा वित्तदायी संस्था के कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रकाशित की जावेगी।

22. वे सब कार्य करना जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिनके संबंध में विशेष अधिकार अधिनियम, नियम या इन उपविधियों के अनुसार साधारण सभा में वेष्ठित न हो।

23. संस्था द्वारा भूमि के अर्जन, भूखण्डों का हस्तांतरण, भवन प्रकोष्ठों का हस्तांतरण तथा अन्य संस्थाओं से उधार प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों के निष्पादन में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा इसके अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना आदेश का पालन करना।

24. भूखण्डों का आवंटन आमसभा द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची अनुसार करना। भूखण्ड समर्पित कराना तथा भूखण्डों को निरस्त करना।

25. लोक हित में विकास कार्यक्रम व सदस्यों के हित में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।

26. पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 49–डी के अन्तर्गत विनियम बनाने संबंधी दिये गये निर्देशों का पालन करना।

27. संस्था द्वारा विकसित कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित आवास नीति के अनुसार क्रियान्वयन करना।

28. आवश्यकतानुसार उपसमितियॉ बनाना जैसे–भूमि विकास उप समिति, ऋण उप समिति एवं क्रय उपसमिति आदि।

29. संस्था की सार्वजनिक उपयोग की भूमि/भवन जैसे स्कूल, पार्क, कम्युनिटी हाल, क्रीडांगन एवं धार्मिक स्थल आदि के आवंटन की नीति बनाना, उक्त सम्पति का मैनटेनेंस करना व इस हेतु आवश्यकतानुसार एक उप समिति का गठन करना।

30. इन उपविधियों के अध्याधीन रहते हुये भूखण्ड हस्तांतरण हेतु नियम बनना।

31. प्रतिवर्ष संस्था द्वारा धारित/अर्जित भूमि के रिक्त भूखण्डों की सूची का प्रकाशन करना।

32 संचालक मण्डल अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार निर्धारित विवरणीय नियम समयवधि में पंजीयक को प्रस्तुत करने हेतु किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करगी। ऐसे संकल्प की सूचना पंजीयक को दी जाऐगी। सूचना नही देने की स्थिति में अध्यक्ष उक्त कार्य के लिए अधिकृत माना जावेगा।

उपविधि क्रमांक 34(2) अधिकारों का प्रत्यायोजन :-

संचालक मण्डल अपने अधिकारों में से कोई अधिकार (उपविधि कमांक 34(1) के अनुकमांक क्रमांक 1, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 29 एवं 30 को छोड़कर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेगा, किन्तु प्रबंधक समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये कार्यों का विवरण संचालक मण्डल की बैठक में पुष्टि हेतु रखना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक 35 संस्था का अध्यक्ष :-

अध्यक्ष संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रहेगा। साधारण सभा का तथा संचालक मण्डल के प्रस्तावों में शामिल निर्णयों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने का दायित्व अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष,प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों के काम की देखभाल करेगा। वह उन अधिकारों का पालन करेगा, जो संचालक मण्डल ने उसको दिये है।

उपविधि क्रमांक 36 संस्था उपाध्यक्ष :-

संस्था में दो उपाध्यक्ष होंगे जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के उन अधिकारों का उपयोग करेगा जो संचालक मण्डलद्वारा लिखित में सौंपें जावे।

उपविधि क्रमांक 37 विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिये निरहर्रता :-

कोई भी व्यक्ति किसी सोसायटी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या जिला पंचायत, जनपद, पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मंडल बोर्ड या मंडी समिति में किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है, परन्तु वह व्यक्ति संचालक या अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी सोसायटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करता है और वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय, मंडी बोर्ड या मंडी समिति किसी पद पर निर्वाचित हो जाता है, तो सोसायटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस तारीख से, जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, कार्य बंद कर देगा वह पद उपरोक्त तिथि से स्वतः रिक्त हो जायेगा।

उपविधि क्रमांक 38 संस्था के अध्यक्ष या पदाधिकारी का हटाया जाना:-

संस्था के अध्यक्ष या पदाधिकारी को पद से हटाने हेतु संचालक मण्डलके कम से कम एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर से निम्नलिखित आधारों पर आरोप पत्र दिया जा सकेगा:-

(1) वह अधिनियम नियम एवं संस्था की उपविधि द्वारा उस अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर उपेक्षा करता हो और उसके कपटपूर्ण कार्यों से संस्था को हानि हुई हो।

(2) संस्था के शोध्यों का भुगतान करने में लगातार व्यतिकम करता हो।

(3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की हो।

(4) वह उसके द्वारा धारित पद का दुरूपयोग करता हो।

आरोप पत्र के साथ–साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर इस प्रयोजन के लिये पंजीयक के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की अध्यक्षता में आमंत्रित संचालक मण्डल के सम्मिलन में दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या पदाधिकारी को हटाया जा सकेगा।

संस्था के अध्यक्ष या पदाधिकारी जिसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हो उसे उस सम्मिलन में जिसमें की आरोप पत्र पर विचार किया जाना हो प्रतिवाद करने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा। परन्तु ऐसा प्रस्ताव उस अध्यक्ष या पदाधिकारी द्वारा पदभार गृहण करने अथवा पूर्व में प्रस्तुत ऐसे प्रस्ताव को प्रबंध कमेटी द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत करने जैसी भी दशा हो के एक वर्ष की कालावधि के भीतर पुनः नहीं लाया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक 39 (1) संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधकः-

संचालक मण्डलएक प्रबंधक नियुक्त करेगी जिसे वेतन/पारिश्रमिक दिया जावेगा। जिले के उप/सहायक पंजीयक यदि संस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो किसी विभागीय कार्यपालक कर्मचारी को अपने कार्य के साथ–साथ प्रबंधक के कार्य का अतिरिक्त प्रभार दे सकेगा और संस्था की प्रबंध समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उसे स्वीकार कर प्रबधंक के पद का प्रभार सौंपे।

उपविधि क्रमांक 39 (2) प्रबंधक की योग्यता :-

प्रबंधक पद पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी जो:–

1. कम से कम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो, उसे कम्प्यूटर चलाने का ज्ञान हो।

2. किसी अन्य सहकारी संस्था की संचालक मण्डल का सदस्य न हो।

3. किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद पर कभी भी कार्यरत् न रहा हो।

4. संस्था का सदस्य न हो।
5. किसी सहकारी संस्था की सेवा या शासकीय सेवा से हटाया या बर्खास्त न किया गया हो।

6. किसी अपराध में सजा न हुई हो और दिवालिया घोषित न किया गया हो।

उपविधि क्रमांक 39 (3) प्रबन्धक के कर्तव्य एवं अधिकार :-

प्रबंधक संस्था की संचालक मण्डल व अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में काम करेगा। उसके कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे:–

1. निर्धारित रजिस्टरों तथा अन्य कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना।

2. पावतियां, रसीदें, व्हाउचर्स, चैक तथा दस्तावेज तैयार करना। रसीद, चैक आदि पर अध्यक्ष अथवा उस व्यक्ति के, जिसे कि संचालक मण्डल ने यह अधिकार दिया हो, हस्ताक्षर कराना।

3. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना। अध्यक्ष की सहमति से साधारण सभा, संचालक मण्डल की बैठक बुलाना। संचालक मण्डल के निर्णयों की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।

4. साधारण सभा, तथा संचालक मण्डल की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनका कार्यवाही विवरण कार्यवाही पुस्तिका में लिखना। कार्यवाही विवरण के ठीक नीचे उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराना।

5. प्रतिवर्ष 30 अप्रैल के पूर्व गत वर्ष के आय–व्यय तथा वार्षिक पत्रक तैयार कराना और 31 मई तक सक्षम अधिकारी को भेजना।

6. रजिस्टरों की प्रतिलिपि को प्रमाणित करना।

7. अंकेक्षक की ऑडिट रिपोर्ट तथा अन्य अधिकारियों की निरीक्षण टीपों को उत्तर सहित संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

8. स्वीकृत बजट के भीतर संचालक मण्डल द्वारा दिये हुये अधिकारों के अनुसार व्यय करना।

9. संस्था के द्वारा एकत्रित होने वाली समस्त धनराशि संबंधित सहकारी केन्द्रीय बैंक में जमा करना।

10. वे अन्य कार्य करना जो संचालक मण्डल द्वारा सौपे जावे।

उपविधि क्रमांक 40 अपील :-

संस्था के संचालक मण्डल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आदेश से प्रभावित व्यक्ति आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर पंजीयक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक 41 भूमि का क्रय/अर्जन :-

1. संस्था द्वारा केवल वही भूमि प्राप्त की जावेगी जो उसके कार्यक्षेत्र के अंदर स्थित हो और जो नगर भूमि (सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 के प्रावधानों से मुक्त हो या राज्य शासन द्वारा मुक्त कर दी गई हो। ऐसी भूमि, जो नगर भूमि अधिनियम 1976 के सीलिंग संबंधी प्रावधानों से मुक्त न हो, को क्रय करने का करार संस्था नहीं करेगी, किन्तु ऐसी भूमि का भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जन किया जा सकेगा।

2. संस्था केवल वही भूमि क्रय/अर्जित करेगी जो संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी गई हो।

3. जहाँ मास्टर प्लान प्रभावशील नही हुआ हो, वहाँ केवल वही भूमि क्रय/अर्जित की जावेगी जिस पर आवासीय कॉलोनी का विकास किया जाना संबंधी स्थानीय क्षेत्र में लागू रेग्युलेशन के तहत संभव हो और तदाशय का प्रमाणीकरण संबंधित स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कर दिया गया हो।

4. संस्था कार्यक्षेत्र के बाहर भूमि क्रय नहीं करेगी।

5. केन्द्रीय अथवा राज्य शासन के विकास प्राधिकरण या स्थानीय संस्था के अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन से आरक्षित/प्रस्तावित क्षेत्र में भी संस्था द्वारा सीधे कोई भूमि क्रय नहीं की जावेगी। किन्तु ऐसे क्षेत्रों में शासन/विकास प्राधिकरण /गृह निर्माण मण्डल/स्थानीय संस्था से आवासीय भूमि प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक 42(1) कॉलोनी विकसित करना एवं प्लाटों का आवंटन :-

संस्था कॉलोनी का विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तथा सदस्यों को प्लाटों का आवंटन करने के पूर्व निम्नलिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करेगी।

1. कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर पालिक निगम/नगर पालिका से कॉलोनी विकास हेतु कॉलोनाइजर का पंजीयन कराना तथा विकास अनुमति प्राप्त करना।

2. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा सक्षम अधिकारी से डायवर्सन की अनुमति।

3. यदि संस्था का कार्यक्षेत्र ऐसे शहर में है जहाँ भूमि (सीमा तथा विनियम) अधिनियम 1976 लागू है तो सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

4. संयुक्त/उप संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन से ले–ऑउट का अनुमोदन।

5. नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद से कॉलोनी ले–ऑउट की स्वीकृति।

6. नजूल अधिकारी से कॉलोनी के क्षेत्र में शासकीय भूमि न होने संबंधी प्रमाण–पत्र।

7. जिला कलेक्टर/नगर पालिक निगम से कॉलोनी के विकास की लिखित अनुमति।

8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून/रेग्युलेशन के तहत प्रावधानिक अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

9. उपरोक्त समस्त अनुमतियों के पश्चात भूमि का विकास करने तथा विकसित भूखण्ड तैयार करने के पश्चात ही भूखण्डों का आवंटन आमसभा द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता सूची के अनुसार किया जावेगा। सदस्य से समस्त देय राशि प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित भूखण्ड का पंजीयन कराया जा सकेगा।

10. संस्था के स्वीकृत मानचित्र में जो भू–खण्ड, सामुदायिक भवन/कम्युनिटि हाल/स्कूल/अस्पताल/पी.ए.सी आदि के लिये आरंक्षित है, ऐसे भू–खण्ड को संस्था की आमसभा से अनुमोदन उपरांत पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल से अनुमति प्राप्त कर उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिस उद्देश्य के लिये ऐसे भूखण्ड आरक्षित है, विक्रय किया जा सकेगा। ऐसे विक्रय कलेक्टर गाईड लाइन से कम पर नहीं किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा विक्रय पारदर्शी प्रक्रिया से टेण्डर/नीलामी की सूचना प्रदेश के सर्वाधिक प्रचार–प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में करने के बाद की जावेगी।

11. यदि संस्था द्वारा भूमि क्रय/अर्जन के 10 वर्ष पश्चात भी सदस्यों को भूखण्ड वितरण हेतु सक्षम प्राधिकार से अभिन्यास का अनुमोदन कराकर विकास नही करते है, तो पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश संस्था की क्रय/अर्जित भूमि का अधिग्रहण करके, गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था ''मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल को सौप कर, आवास संघ के माध्यम से अभिन्यास स्वीकृति/विकास कराकर, संस्था के पात्र सदस्यों को सहकारी अधिनियम/नियम/उपविधियों के अनुरूप भूखण्ड/प्रकोष्ठ का वितरण करायेंगे। परन्तु ऐसा कोई भी अधिग्रहण संस्था की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के उपरांत ही किया जावेगा। इस हेतु आवास संघ समस्त कार्यवाही पंजीयक के पूर्व अनुमोदन से करेगा तथा प्रत्येक स्थिति में यह माना जायेगा, कि यह कार्य संस्था स्वयं कर रही है।

12. कालोनी के निर्माण हेतु टी.एन.सी.पी., नगर निगम/नगर पालिका से भू–अभिन्यास स्वीकृत कराया जाता है उक्त स्वीकृत अभिन्यास को सदस्यों के हितों के विपरीत निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु स्वीकृत भू–अभिन्यास को संशोधित कर दिया जाता है। संस्था के प्रथम भू–अभिन्यास स्वीकृत हो जाने के उपरांत स्वीकृत भू–अभिन्यास में कोई भी संशोधन पंजीयक की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 42(2) कॉलोनी का विकास कार्य :-

1. संस्था कॉलोनी का विकास कार्य मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के पर्यवेक्षण में उसके द्वारा चयनित ऐजन्सी से कराया जावेगा।

2. विकास कार्य हेतु संचालक मण्डल संचालकों की एक विकास उप समिति का गठन करेगी। विकास उप समिति में आवास संघ से अनुमोदित तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाये ली जावेगी।

3. विकास कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं स्थानीय/प्रादेशिक दो दैनिक समाचार पत्रों में विकास कार्य के स्पष्ट विवरण के साथ प्रकाशित कर आवास संघ एवं संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आहूत की जावेगी तथा यही संयुक्त कमेटी निविदा पर निर्णय लेगी।

उपविधि क्रमांक 43(1) भूखण्ड/भवन का अंतरण तथा पंजीयन दस्तावेजों में शर्त का समावेश:-

*संस्था द्वारा सदस्य को भूखण्ड/भवन के अंतरण करने हेतु पंजीयन दस्तावेज में निम्नलिखित शर्तों का समावेश किया जाना अनिवार्य होगा:–

1. सदस्य को भूखण्ड अंतरित हो जाने एवं आधिपत्य प्राप्त करने के 8 वर्ष के अंदर भवन निर्माण करना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य द्वारा 8 वर्ष के अंदर भवन निर्माण नही किया जाता है तो उसके पश्चात प्रत्येक 3 वर्ष के लिए भूखण्ड के तत्समय कलेक्टर गाइड लाईन मूल्य के अनुसार निर्धारित दर के एक प्रतिशत के बराबर राशि संस्था में कॉलोनी रख–रखाव निधि में जमा करने के पश्चात भवन निर्माण की अनुमति संस्था द्वारा दी जा सकेगी।

2. कोई भी सदस्य संस्था से प्राप्त भूखण्ड को किसी अन्य को 3 वर्ष तक अंतरित नहीं कर सकेगा। यदि कोई सदस्य 3 वर्ष बाद अंतरण करना चाहे तो अंतरण वर्ष की कलेक्टर गाइड लाईन अनुसार निर्धारित दर से क्रेता एवं विक्रेता दोनो समान रूप से 1–1 प्रतिशत के बराबर अंतरण शुल्क का भुगतान संस्था की रख–रखाव निधि में करना होगा। सदस्य के द्वारा भूखण्ड अंतरण हेतु अनुमति संबंधी आवेदन पत्र के साथ क्रेता को सदस्य बनाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सदस्यता शुल्क सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   यदि किसी सदस्य के द्वारा 3 वर्ष के भीतर ही भू–खण्ड का विकय कर दिया जाता है तो ऐसे विकय को निरस्त करने हेतु संस्था द्वारा वाद दायर कर ऐसे विकय को प्रभाव हीन कराया जा सकेगा। यदि राशि जमा करने के दिनांक से एक माह में संस्था द्वारा अंतरण की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह माना जाकर कि संस्था को इस अंतरण में कोई आपत्ति नहीं है, संस्था की स्वमेव अनुमति मानी जावेगी।

   संस्था द्वारा भूमि कय की अनापत्ति प्रदान किये जाने अथवा उपरोक्तानुसार स्वमेव अनुमति, जैसी भी स्थिति हो के पश्चात ही पर ही क्रेता के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पदन हो सकेगा। और यह भी यदि ऐसे विकेता सदस्य जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार सोसायटी में जमा कराये बगैर एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही भूखण्ड का विकय कर दिया जाता है तो उक्तानुसार राशि जमा कराने का दायित्व केता का होगा। किन्तु यह भी कि किसी वित्तदायी संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु भूखण्ड/भवन को बंधक रखना एवं वसीयत/उत्तराधिकार से प्राप्त अंतरण शामिल नही होगा।

3. सदस्य को भूखण्ड/भवन अंतरण/पंजीयन के पश्चात संस्था अथवा मेन्टेंनेंस समिति द्वारा कॉलोनी के लिए निर्धारित मेन्टेनेंस राशि की मांग की जाती है, तो उसका भुगतान अनिवार्य होगा अन्यथा 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से दंड राशि सहित वसूली योग्य होगा।

4. इस उपविधि के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली राशि चैक, ड्राफ्ट अथवा आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. से ही प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नगद राशि जमा नहीं की जावेगी।

5. ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाऐं जिन्हें शासन से लीज पर भूमि प्राप्त हुई है या धारा 20 की छूट प्राप्त हुई है या उन संस्थाओं के लिए शासन द्वारा जारी की गई शर्तें लागू होगी।

उपविधि क्रमांक 43(2) - उपविधि 43(1) के अन्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय :-

संस्था की उपविधि क्रमांक 43(1) के अन्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय निम्नानुसार किया जा सकेगा:–

1. प्राप्त राशि कॉलोनी रख–रखाव निधि में बैंक के पृथक खाते में जमा करनी होगी।

2. प्राप्त राशि का व्यय कॉलोनी के रख–रखाव के लिए ही किया जा सकेगा।

3. कॉलोनी के रख–रखाव में व्यय करने के लिए तैयार किए गए एस्टिमेट का संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, जिसकी पुष्टि आगामी आमसभा में कराना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक 43(3) :-संस्था द्वारा विकसित कालोनी का रख-रखाव:-

संस्था पानी, प्रकाश, नालियों की सफाई आदि का प्रबंध करती है तो वह ऐसा शुल्क जो उचित हो सदस्यों से वसूल कर सकेगी। इस हेतु संचालक मण्डलकॉलोनी के रहवासियों की पृथक से संधारण समिति गठित कर सकेगी। इस संधारण समिति के द्वारा किये गये समस्त लेन–देन का अनुमोदन संचालक मण्डल से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार किये गये समस्त लेन–देन संस्था की लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किये जावेगे।

उपविधि क्रमांक 44 भवन निर्माण :-

1. साधारणतया सदस्य भवन स्वयं बनावेगें परन्तु यदि सदस्यों को ऐसी इच्छा हो तो संस्था सदस्यों के खर्चे से और उनकी जोखमदारी पर भवन बनाने का जिम्मा ले सकती है। संस्था किसी हानि के लिए जो ऐसे भवन की तैयारी के कारण हो, किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगी। जब संस्था भवन बनाना अपने जिम्मे ले तो, वह सदस्य से वह मूल्य जो अनुमान किया गया हो, पूरा अथवा किश्तों में जैसा कि संचालक मण्डल निश्चित करे, जमा करा लेंगी। यदि भवन संस्था के लिए हुए ऋण से बनाना हो तो सदस्य को संस्था में लिखकर देना होगा कि उसकी किस्ते सदस्य से लेने का अधिकार संस्था को है।

2. साधारण सभा की स्वीकृति से संस्था भवन बनाकर संस्था के सदस्य को क्रय–किराए की प्रथा से बेच सकेगी और जो भवन इस प्रकार न बिके किराए पर दे सकेगी।

3. संस्था के सदस्य कॉलोनी के स्वीकृत किए हुए नक्शों के अनुसार ही भवन बनाएँगे। भवन संस्था के स्वीकृत किए हुए नक्शों के विपरीत बना हुआ पाये जाने पर प्रबंध समिति को अधिकार होगा कि वह सदस्य से उनको दिया हुआ ऋण म य ब्याज के एक मुश्त वसूल कर लें।

4. यदि सदस्य ने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो तो ऋण की पहली किश्त मिलने की तारीख से दो महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। यदि कोई सदस्य निश्चित समय के अंदर भवन बनाना शुरू न करे अथवा उसे पूरा न करे तो संचालक मण्डल को अधिकार होगा वह बनाने का कार्य अपने हाथ में लेकर पूरा करें और जो खर्च लगे वह सदस्यों के ऋण खाते नाम डाल दे।

5. प्रत्येक सदस्य जिसने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो निर्माण कार्य के दौरान संस्था द्वारा निरीक्षण करवायेगा और भवन का मूल्यांकन करने देगा। इसी प्रकार शेष ऋण की सुरक्षा एवं जाँच के लिए सदस्य वार्षिक निरीक्षण करावेगा।

6. कोई सदस्य किसी प्लाट या निर्मित भवन को जो संस्था से ऋण लेकर खरीदा या बनाया गया हो केवल उस व्यक्ति को निर्धारित शुल्क पर हस्तांतरित कर सकेगा जो संस्था का सदस्य हो अथवा जिसे संचालक मण्डलने सदस्य स्वीकार किया हो।

7. जब तक संस्था से लिया गया ऋण पूरा चुकता न हो जावे, भवन को अच्छी स्थिति में रखना होगा। यदि भवन किराए पर दिया जाता है तो किरायेदार से संस्था अनुबंध करेगी जिसके तहत संपूर्ण किराया संस्था सदस्य के ऋण खाते में ज म ा करने की शर्त रखी जावेगी। सेवारत् सदस्य को यदि स्थानांतरण हो जावे तो उसे अपना भवन संस्था को सौंप देना होगा, जो उसके उचित किराए पर उठाकर प्राप्त होने वाली राशि से सदस्य को समिति द्वारा दिये गये ऋण खाते में जमा करेगी।

8. यदि सदस्य अपना भवन स्वयं बनावे तो उसकी प्रार्थना पर संस्था मजदूर, कारीगर और भवन लिए लगने वाले सामान की सम्मिलित व्यवस्था कर सकती है। ऐसी स्थिति में संस्था केवल एजेंट के नाते काम करेगी और ऐसे काम में होने वाली किसी प्रकार की हानि उत्तरदायी नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक 45 :-ऋण की प्रक्रिया एवं शर्तेः-

1. ऋण केवल सदस्यों को ही दिया जावेगा, ऋण के प्रार्थना पत्रों का निर्णय संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा।

2. ऋण के प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष या प्रबंधक को दिये जावेंगे और उसका कर्तव्य होगा कि उसको संचालक मण्डल में प्रस्तुत करें।

3. भूमि क्रय करने, भवन बनाने अथवा भवन में वृद्धि करने के लिए ही ऋण दिये जा सकेंगे।

4. कोई सदस्य किसी समय संस्था में जमा किया हुए अंशो की रकम के उतने गुने से अधिक रकम के लिए संस्था से ऋण नहीं लेगा जितना की पंजीयक निर्धारित करें।

5. जो ऋण संस्था से दिया जावेगा उस पर प्रचलित ब्याज दर से ब्याज प्रतिवर्ष लिया जावेगा।

6. ऋण लेने वाले की भूमि की प्रतिभूति पर या किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की प्रतिभूति पर ऋण दिया जावेगा। जब आवश्यकता हो समिति दूसरी प्रतिभूति, अन्य संपत्ति के रूप में या व्यक्तिगत प्रतिभूति के रूप में ले सकती है।

7. नए भवन बनाने अथवा उनमें वृद्धि करने के लिए जो ऋण स्वीकृत किए जावेंगे, वे किश्तों में स्वीकृत किए जावेंगे। जैसे–जैसे भवन बनाने का काम चलता जावेगा वे रिलीज किए जावेंगे। बाद में ऋण की किश्ते उसी समय दी जावेगी, जब प्रबंध समिति इस बात को देख लेगी कि जो रकम पहले दी जा चुकी है उसका योग्य उपयोग किया गया और निर्माण काम हुआ है वह भूमि का मूल्य मिलाकर उस रकम के बराबर है जो ऋण पेटे वह उस समय तक ले चुका है।

8. यदि संचालक मण्डल को मालूम हो कि संस्था से लिए गए ऋण का उचित उपयोग नही किया गया है तो वह उस अवधि तक जिसके लिए ऋण दिया गया था प्रतीक्षा न करते हुए संपूर्ण ऋण ब्याज सहित वसूल करने की शीघ्र कार्यवाही करेगी।

9. सदस्य जिसने संस्था से ऋण लिया हो, ऋण की रकम ब्याज सहित प्रतिमाह समान किश्तों में जमा करेगा। किस्त प्रत्येक महीने में 15 तारीख को अथवा इसके पहले दी जावेगी। किस्त समय पर जमा न होने की स्थिति में उस समय पर ऐसी दर पर वार्षिक ब्याज एवं दंड ब्याज जो संचालक मण्डल निर्धारित करे, लिया जावेगा। ऋण अदायगी हेतु 30 वर्ष से अधिक समय की किश्ते नहीं की जावेगी।

10. ऋण लेने वाले सदस्य को अधिकार होगा कि किसी समय निश्चित की हुई किश्त की रकम से अधिक रकम दे सकता है अथवा सब ऋण एक ही समय में पूरा चुका सकता है। जो रकम मासिक किश्त से अतिरिक्त वसूल होगी उसका जमा खर्च मूल रकम को कम करने में किया जावेगा, परन्तु आगामी मासिक किश्त आगे नहीं बढ़ाई जावेगी।

11. ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को या अन्य तिथि को, जैसा संचालक मण्डल तय करे, देय होगा। ऋण की कटमिति विधि से कुल अवधि का ब्याज लगाकर वह रकम उतनी मासिक किश्तों में वसूल की जावेगी जितनी किश्तों में ऋण देने वाली संस्था द्वारा उसके ऋण का ब्याज लेने संबंधी जो नियम बनाए गए हो, उनको दृष्टि में रखकर सदस्यों से ब्याज लेने की उपरोक्त रीति में उचित परिवर्तन करने का संचालक मण्डलको अधिकार होगा। ऋण के पेटे सदस्य से जो रकम प्राप्त होगी वह नीचे बताए अनुसार जमा की जावेगी।

1. दंड ब्याज, डाक व्यय, रजिस्ट्री खर्च तथा अन्य जो उससे लेना हो।

2. ब्याज।

3. मूल।

12. नया भवन बनाने के लिए अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए दिये हुए ऋण की पहली किश्त उस तारीख से एक मास, जिस तारीख को वह भवन जिसके लिए ऋण दिया गया हो बनकर तैयार हो गया। अथवा ऋण की पहली किश्त की रकम के देने की तारीख से 12 माह के बाद इनमें से जो पहले देय होगी। जिसके निर्माण हेतु ऋण लिया गया है, के पूर्णतः निर्मित होने तक ऋण पर एकत्रित होने वाला ब्याज भवन निर्माण पूर्ण होने पर या ऋण की प्रथम अंशिका देने के 12 माह बाद जो भी पहले हो, एक मुश्त देय होगा। यदि ऐसा न हो सका तो दंड ब्याज कलातीत रकम पर वसूल किया जावेगा। यदि कोई सदस्य अग्रिम रूप से मासिक ब्याज की रकम कर्ज की प्रथम अंशिका प्राप्त होने के अगले माह से जमा करना शुरू करता है तो ऐसा करने में आक्षेप नहीं है।

13. यदि सदस्य किसी विशेष कारण से निश्चित किश्त समय पर न दे सके तो समाधान होने पर वर्ष से अधिक से अधिक दो बार शिथिलता बरती जाकर अवधि बढ़ायी जा सकती है, परन्तु ब्याज की कुल देय रकम वर्ष समाप्त होने से पहले जमा करना आवश्यक होगा। यदि किसी ऋण देय रकम बाकी रह जावे तो मुद्दत अथवा दो मासिक किश्तों के बराबर हो और संचालक मण्डलअवधि देना उचित न समझे तो कुल ऋण ब्याज सहित देय होगा।

14. संस्था का पूरा अधिकार होगा कि अंश की अमानत की अथवा अन्य रकम जो जमा हो वह संघ अथवा उसका कुछ भाग अपने ऋण पेटे जमा कर ले।

15 उपविधि क्रमांक–45.14 के अनुसार सदस्य अथवा पिछले सदस्य से अंश आदि की रकमें ऋण में से वसूल हुई रकम तथा लाभांश की रकम, सब मिलाकर जमा होने के बाद भी यदि संस्था का उस सदस्य से अथवा पिछले सदस्य कुछ लेना बाकी रहे तो वह सदस्य बाकी ऋण का देनदार होगा और संस्था को अधिकार होगा कि उसकी वसूली के लिए ऐसी कार्यवाही करे जो वह उचित समझे।

16. उपविधि क्रमांक–45.15 के अनुसार संस्था अपने अधिकार का उपयोग करते हुए व्यतिक्रमी सदस्यों के हितों को जो संस्था की संपत्ति में हो उस प्रकार जैसा वह उचित समझे नीलाम कर सकती है, परन्तु ऐसा नीलाम उस समय तक नही किया जावेगा जब तक कि सदस्य को उनके द्वारा रकम उसे जमा करने का तकाजा और रकम न चुकाने की स्थिति में हित नीलाम करा देने संबंधी सूचना पत्र न दे दिया जावे। ऐसा नोटिस डाकघर से रजिस्ट्री द्वारा सदस्य अथवा पूर्व सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को यदि कोई हो जो इन हितों का अधिकारी हो, पंजीयक पते पर भेज दिया जावेगा और सूचना पत्र मिलने के 7 दिन के भीतर यदि जमा न हुई तो नीलाम किया जावेगा।

17. ऊपर बताए गए अधिकार के अनुसार नीलाम हो जाने पर संस्था क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम उन हितों के संबंध में जो बच गए हो, रजिस्टर में लिखेगी।

18. नीलाम की रकम संस्था के ऋण पेटे जमा की जोवगी। यदि कुछ रकम बाकी बचेगी तो वह सदस्य को अथवा पूर्व सदस्य को वापिस दे दी जावेगी।

19. यदि कोई ऋण उपविधि क्रमांक–45.13 के अनुसार एक मुश्त वसूल करना निश्चित हो तो ऋण का खाता बंद करके मुद्दत बाकी रकम की तथा खाता बंद करने की तारीख तक उस पर जो ब्याज हो, संस्था उसकी सूचना ऋणी सदस्य को देगी। इस रकम पर अथवा कुल रकम पर जो उस समय बाकी निकलती हो, प्रचलित ब्याज दर से खाता बंद करने की तारीख से वसूल तारीख तक ब्याज लिया जावेगा और वसूली के लिए वैधानिक कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी। परन्तु खाता बंद करने के तीन माह के भीतर ऋणी की ओर से पूरी किश्त अथवा किश्तों की बाकी ब्याज सहित जमा होने पर संस्था बाकी रकम ऐसी किश्तों में जो पहले ही गिरवी नामें में लिख देने की अनुमति ऋण से नया गिरवीनामा लिखने के बाद दे सकती है, परन्तु किश्तों को नई करने की अनुमति देने से पहले संस्था को ऋण देने वाली सहकारी बैंक या आवास संघ अथवा अन्य संस्था से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

20. यदि कोई सदस्य उपविधि क्रमांक–45.12 के अनुसार निकाल दिया गया हो तो सदस्य के ऋण खाते यदि कोई हो, उन प्रतिबंधों को विचार में न लेते हुए जिनके अनुसार ऋण दिया गया था, बंद कर लिया जावेगा और जो रकम ब्याज सहित उसकी और निकलती होगी, उसकी वसूली की कार्यवाही की जावेगी। खाता बंद करने की तारीख से वसूली तक ब्याज प्रचलित ब्याज दर से लिया जावेगा।

21. प्रत्येक ऋण लेने वाले सदस्यों को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में उसकी आयु के बीमें की पॉलिसी को पूर्णतया अथवा अंशतया संस्था के अधिकार से अधिकृत (अथराइज्ड) करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे बीमें में पॉलिसी पूरी आयु की होनी चाहिए अथवा उस अवधि से कम की नहीं होनी चाहिए, जिसमें की संस्था का ऋण चुकाया जाना हो। ऐसे बीमें की पॉलिसी के प्रीमियम की रकम संस्था से दी जावेगी जो सदस्य के ऋण पेटे ली जानी तय हो।

उपविधि क्रमांक 46 लाभ :-

साधारण सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा–

1. कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि में।

2. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा– 43(2) (ख) सहपठित नियम 30 के अनुसार जिला सहकारी संघ को अभिदाय का भुगतान।

3. शेष राशि में से सदस्यों को उनके हिस्सों की वसूल की हुई धन राशि पर लाभांश के रूप में वितरण जो 25 (पच्चीस) प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगा। परन्तु पंजीयक की पूर्वानुमति से लाभांश में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जा सकेगी।

4. शेष राशि में से संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1965 के प्रावधान के अनुसार बोनस हेतु।

5. अधिनियम की धारा 43 के अनुसार परोपकार संबंधी आशय के लिए अंशदान दिये जाने हेतु निधि का निर्माण किया जा सकेगा जो चेरीटेबल एब्डोमेंट एक्ट 1890 के प्रावधानुसार संचालित होगा।

6. बाकी रकम रक्षित निधि में अथवा संस्था के सदस्यों के लिए सामाजिक, मनोरंजन व शैक्षणिक कार्यों की स्थापना हेतु निर्मित होने वाले भवन निर्माण निधि अथवा अन्य निधि में जमा की जावेगी।

7. प्रशिक्षण निधि के नाम से जानी जाने वाली एक प्रथक निधि में लाभ की 2 प्रतिशत राशि संस्था के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये प्रत्येक वर्ष अंतरित की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 47 :- लाभांश

1. लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अंतिम दिवस पर संस्था के रजिस्टर में अंकित हो।

2. किसी ऐसे सदस्य को लाभांश नहीं दिया जावेगा जिसने अंशो की मांग की रकम संस्था से लिखित सूचना पत्र मिलने पर एक महीने के भीतर जमा न की हो ऐसा लाभांश संस्था की संपत्ति होगा।

3. उपविधि क्रमांक–47.2 के अनुसार लाभ के भाग के अतिरिक्त जप्त अंशो की राशि तथा प्रवेश शुल्क, अमानत में काटी हुई राशि रक्षित निधि में जमा होगी। रक्षित निधि की राशि सदस्यों में वितरित नहीं हो सकेगी और न ही कोई सदस्य उसमें से कोई लाभांश पाने का अधिकारी होगा। इसका उपयोग साधारण सभा के ठहराव से और पंजीयक की स्वीकृति उपरांत संस्था को जो हानि हुई हो उसे दूर करने के काम में लिया जा सकता है।

उपविधि क्रमांक 48 :- रक्षित निधि व अन्य निधियों का उपयोग:-

रक्षित निधि का उपयोग अथवा विनियोजन पंजीयक के समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार ही किया जा सकेगा। संस्था के समापन के बाद रक्षित निधि तथा अन्य निधियों का जो धन शेष रहेगा, उसका विनियोग मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 49 सदस्य पासबुक:-

प्रत्येक सदस्य के पास एक पासबुक होगी। जिसमें प्रबंधक सब रकमों की प्रविष्टि करेगा जो उसको दी गई हो, अथवा उसकी ओर से जमा की गई हो।

उपविधि क्रमांक 50 :-सदस्यों से राशि जमा कराने की विधि:-

संस्था रूपये 10,000/– से अधिक के भुगतान क्रॉस्ड चेक के द्वारा ही करेगी। नगद राशि प्राप्त नहीं करेगी।

उपविधि क्रमांक 51 संस्था द्वारा रखी जाने वाली पंजियाँ :-

1. संस्था को – (1) सदस्य पंजी, (2) सदस्यता आवेदन/त्यागपत्र आवेदन पंजी, (3) केश बुक, (4) कार्यवाही पंजी, (5) ऋण खाता पंजी, (6) आवक पंजी, (7) जावक पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) स्टेशनरी पंजी (10) रसीद कट्टा (11) भूखण्ड आवंटन पंजी, (12) सामान्य व व्यक्तिगत खाते, (13) अंशपूंजी पंजी (14) भूमि विकास पंजी, (15) माप पुस्तिका (16) सदस्यों को भुखण्ड मूल्य एवं विकास शुल्क जमा करने हेतु जारी सूचना पत्रों की पंजी एवं अन्य आवश्यक पंजियॉ रखना अनिवार्य होगा।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी पंजियॉ जिन्हें संस्था संधारित करना आवश्यक समझे अथवा जो पंजियॉ आवास संघ अथवा पंजीयक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की जावे या अधिनियम, नियम उपविधियों में प्रावधानित हो, का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा।

3. समस्त अभिलेख अध्यक्ष एवं प्रबंधक की संयुक्त अभिरक्षा में रखे जावेंगें। संस्था में स्थाई वेतनिक प्रबंधक नियुक्त नहीं होने पर अभिलेख अध्यक्ष की अभिरक्षा में रखे जावेंगे।

उपविधि क्रमांक 52 :- लेखाओं की संपरीक्षा:-

संस्था अपने लेखाओं की संपरीक्षा सहकारी वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर अधिनियम की धारा 58(1) के अंतर्गत नियुक्त संपरीक्षक से करवाएगी और शासन द्वारा निर्धारित संपरीक्षा शुल्क का भुगतान करेगी। संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 50 के अंतर्गत संपरीक्षा करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं इस हेतु पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों–निर्देशों का पालन किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 53 :- संस्था को हुये नुकसान का दायित्व :-

संस्था की संपरीक्षा, जाँच, निरीक्षण या परिसमापन के दौरान या अन्यथा यह पाया जाये कि संस्था के किसी पदाधिकारी, प्रबंधसमिति के सदस्य, संस्था के अधिकारी ,या कर्मचारी ने अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, संस्था की उपविधि के प्रतिकूल कार्य कर भुगतान किया है या कोई हानि पहुँचाई है या संस्था के किसी धन या सम्पत्ति का दुर्विनियोजन किया है या उस धन या अन्य सम्पत्ति को कपटपूर्वक रख छोड़ा है तो ऐसे कृत्य से संस्था को हुये नुकसान की पूर्ति संबंधित से की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 54 पंजीयक को विवरणियाँ प्रस्तुत किया जाना:-

संस्था का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की भीतर अधिनियम में प्रावधनीत विवरणियाँ संस्था के पंजीयनकर्ता अधिकारी जिले के उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें को प्रस्तुत करेगी,जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगें, अर्थात:–

1. उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट।
2. उसके लेखाओं के संपरीक्षित विवरण।
3. संस्था के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अतिशेष व्ययन के लिये प्लान।
4. संस्था की उपविधियों की सूची, यदि कोई हो।
5. उसके साधारण निकाय का सम्मिलन आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा, कार्यवाही विवरण तथा निर्वाचन कराना, जब अपेक्षित हो जाये तत्संबंधी विवरण ।
6. अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में पंजीयक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।
7. भूखण्ड/भवन/प्रकोष्ठ आवंटन/निरस्ती की जानकारी।

उपविधि क्रमांक 55 :- अधिनियम नियम एवं उपविधियों के विरूद्ध कार्य पर शास्तियां:-

संस्था के पदाधिकारियों, अधिकारियों प्रबंधक के द्वारा संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के द्वारा सौपें गये कर्तव्य को पूरी सजगता एवं पूर्ण सदभावना से समय सीमा में पालन किया जावेगा। पालन करने में चूक करने अथवा जानबूझकर उपेक्षा करने पर जिम्मेदार व्यक्ति अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत शास्ति के भागी होगें।

उपविधि क्रमांक 56:- अपराधः-

संस्था अधिनियम के अध्याय ''8–क'' में सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के लिये किये गये विशेष प्रावधानों का पालन करेगी। अधिनियम की धारा 72–बी एवं 72–सी के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना संस्था की प्रबंध कमेटी एवं पदाधिकारियों के लिये बंधनकारी होगा। अधिनियम की धारा 72डी/घ के अनुसार निम्नलिखित मे से कोई भी कार्य अपराध के अधीन होगा और उक्त अपराध के लिये संचालक मण्डल/जिम्मेदार पदाधिकारी/अधिकारी के विरूद्ध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा:–

1 अधिनियम एवं नियमों में वर्णित उपबंधों, उपविधियों या आवंटन की किन्ही शर्तों के अतिक्रमण में किसी रजिस्ट्रीकृत भू–खण्ड, निवास गृह या प्रकोष्ठ का किसी अन्य व्यक्तियों को अंतरण।

2 सदस्यता सूची के साथ छेड़छाड़।

3 उपविधियों में विहित सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्यों को प्रवेश देना।

4 संस्था की विकास योजना के अनुसार भूमि का विकास न करना।

5 संस्था की अनुमोदित अभिन्यास (ले–आउट) के अतिक्रमण में भूमि का आवंटन या विक्रय।

6 ऐसी भूमि का विकास न करना जो संस्था के साधारण उपयोग जैसे सामुदायिक भवन, स्कूल या अस्पताल या उपविधियों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रयोजन के लिये आरक्षित हो,

7 सदस्यों के द्वारा भुगतान की गई सेवाओं का बिना न्याय संगत और पर्याप्त कारण से संधारण न करना या उपलब्ध न करना।

8 सदस्यों को भूखण्डों का आवंटन सदस्यों की प्राथमिकता सूची के अनुसार न करना।

9 पंजीयक की अनुमति के बिना सोसायटी द्वारा धारित भूमि का विक्रय करना उसे पट्टे पर देना या अंतरण करना।

10 धारा 72–ख की उपधारा 1 के खण्ड (च) के उपबंधों का अनुपालन न करना।

उपविधि क्रमांक 57 :-संस्था की मुद्रा :-

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी। यह मुद्रा ऐसे लिखित पर ही लगाई जाएगी जिस पर संचालक मण्डल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा संचालक मण्डल के ऐसे सदस्यों के हस्ताक्षर हो जिन्हें संचालक मण्डल ने इस संबंध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक 58 :- संस्था का पता:-

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 22(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर संचालक मण्डल संस्था का पता पंजीयक को प्रेषित करेगी। नियम 22 (3) में वर्णित प्रावधान अनुरूप संस्था के पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना संचालक मण्डल द्वारा पंजीयक को 30 दिवस के भीतर दी जावेगी और पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीयक द्वारा पंजीकृत करने के उपरांत ही संशोधित माना जावेगा। पते में परिवर्तन को पंजीयक द्वारा पंजीकृत होने की सूचना के एक प्रति संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी तथा सदस्यों को भी सूचित की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 59 प्रशिक्षण :-

सदस्यों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय/ राज्य/जिला स्तर की सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सहकारिता संबंधी मामलों में प्रशिक्षण आयोजित कराया जावेगा। संचालक मण्डल का प्रत्येक सदस्य अधिनियम एवं नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, सहकारिता संबंधी मामलों में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

उपविधि क्रमांक 60 उपविधियों में संशोधन :-

1. सिवाय साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उप–विधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा। साधारण समिलिन बुलाने के सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा और सूचना पत्र कम से कम 14 दिन पहले दिया जावेगा। ऐसा संशोधन उस समय तक प्रभावशील नहीं हो सकेगा, जब तक कि पंजीयक उसको स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर लें।

2. उपरोक्त (1) के तहत प्राप्त संशोधन का पंजीयन पंजीयक अथवा संबंधित संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा अधीनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार किया जावेगा, यदि अभिलिखित कारणों से संशोधन अस्वीकृत किया जाता है संस्था के द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रभावशील नही होगा।

3. यदि पंजीयक की राय में संस्था की उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना संस्था के हित में आवश्यक या वांछनीय है तो वह ऐसे संशोधन हेतु संस्था को आदेश दे सकेगा एवं अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट प्रकिया का पालन करते हुए ऐसा संशोधन पंजीकृत किया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक 61 सूचना पत्र की तामिली :-

इन उपविधियों में जहाँ कहीं भी उल्लेख है की किसी भी सदस्य को लिखित सूचना पत्र दिया जावेगा तो ऐसा सूचना पत्र ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जावेगा अथवा पंजीकृत डाक से उसके पते पर जो संस्था के रजिस्टर में नोट किया हो, भेजा जावेगा।

उपविधि क्रमांक 62 विवाद :-

संस्था के प्रबंध या कारोबार के संबंध में समस्त विवाद जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत हो, निर्णय के लिए पंजीयक को प्रस्तुत होगें जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार निर्णय करेंगे।

उपविधि क्रमांक 63 :- राज्य शासन की नीति का पालन:-

संस्था राज्य शासन की आवास नीति के अनुसार कार्य करेगी। पंजीयक को यह अधिकार होगा कि वह संस्था को समय समय पर संस्था या उसके सदस्यों की हित में अथवा राज्य शासन की आवास नीति का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दे सके और ऐसे निर्देशों का पालन करना संस्था के लिए बंधनकारी होगा।

उपविधि क्रमांक 64:- संस्था का विघटन:-

निम्न परिस्थियों में संस्था के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा संस्था के विघटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा:–

1. संस्था के सभी भूखण्डों को आवंटित एंव उसकी रजिस्ट्री कराने के पश्चात संस्था के पास कोई भी भूखण्ड व भूमि शेष न रह गई हो।

2. संस्था द्वारा विकसित कॉलोनी नगर निगम/नगर पॉलिका/नगर पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई हो ।

3. संस्था के द्वारा कोई भूमि कय नहीं की गई हो एवं संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है ।

4. संस्था के द्वारा अपने उददेश्यों के अनुरूप कार्यपूर्ण कर लिया गया हो।

उपरोक्तानुसार संस्था के विघटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संस्था की संचालक मण्डल द्वारा उक्त संबंध में निर्णय लेकर प्रस्ताव पंजीयक को अग्रेषित किया जावेगा। संचालक मण्डल अथवा सीधे सदस्यों से संस्था के विघटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर पंजीयक द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी/कर्मचारी को संस्था की साधारण सभा में उक्त प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अधिकृत किया जावेगा। पंजीयक के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा साधारण सभा के कार्यवाही विवरण के साथ अपना अभिमत पंजीयक को प्रस्तुत किये जाने पर पंजीयक का समाधान होने पर संस्था के विघटन का आदेश जारी किया जावेगा। संस्था के रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने हेतु अधिनियम एंव उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वप्रेरणा से पंजीयक संस्था को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात संस्था का परिसमापन किये जाने का आदेश दे सकेगा। परिसमापक नियुक्त करने के उपरांत परिसमापक द्वारा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कारवाई कर प्रस्तुत किये जाने वाले अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर पंजीयक द्वारा संस्था का रजिस्ट्रीकरण रदद् किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 65:- उपविधियों की व्याख्या :-

1. उपविधियों की व्याख्या का अधिकार पंजीयक को होगा। व्याख्या के संबंध में उत्पन्न विवादों पर पंजीयक की राय अंतिम होगी।

2. अन्य बाते जिनका उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार की जावेगी।

उप विधि संशोधन स्वीकृत एवं पंजीकृत

उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला भोपाल
पंजीयन क्रमांक/ डी.आर.बी. /818 दिनांक 8/2/83

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल

''प्रारूप''

परिशिष्ठ-''एक''

गृह निर्माण सहकारी संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष,

...............................गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,

..............................जिला ....म.प्र.

महोदय,

मैं ....गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ....

का सदस्य बनना चाहता हूँ। मुझसे संबंधित व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है:–

1. पूरा नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. आयु /जन्मतिथि : ....
4. स्थायी पता : गली नं. लेन..मौहल्ला वार्ड नं ....
   ग्राम/शहर ....जिला ....(म.प्र.)
5. व्यवसाय...
6. आधार नम्बर .... 7. पेन नम्बर ....
8. मतदाता परिचय पत्र... 9. मोबाईल नम्बर...

घोषणा

1. मैं संस्था की उपविधि क्रमांक 5(अ) में निर्धारित सभी अर्हताओं को धारित करता हूँ।
2. संस्था की सदस्यता हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क रूपये 50/– तथा अंश प्रदाय करने हेतु आवश्यक राशि रूपये 500/– का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर नं ....आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।
3. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है। निवेदन है कि मुझे संस्था सदस्यता प्रदान करने का कष्ट करें।
4. सदस्यता प्रदान की स्थिति में अपने नामांकित व्यक्ति का विवरण सदस्यता पंजी में हस्तांतरण करते समय प्रस्तुत कर दूंगा।

नोट– संस्था की सदस्यता प्रदान करते समय शपथ पत्र अनिवार्य है। भूखण्ड आवंटन/पंजीयन के समय मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 72(बी) के समस्त प्रावधान लागू होगें।

संलग्न:–

1. ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर नं....................
2. शपथपत्र
3. फोटो परिचय पत्र/निवास संबंधी दस्तावेजों की प्रति

भवदीय

हस्ताक्षर..

स्थान...

दिनांक...

मो. नं.– ....

परिशिष्ट - ''दो''

संस्था की सदस्यता से त्याग पत्र का प्रारूप

प्रति,

अध्यक्ष,

.... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,

.... जिला .... म.प्र.

महोदय,

मैं .... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल का सदस्य हूँ, मेरा सदस्यता नम्बर.............................. है।

यह कि अब मैं संस्था से अपनी सदस्यता निम्नलिखित कारणों से वापस लेना चाहता हूँ:–

1. कारण..

2. निवेदन है कि संस्था की सदस्यता से मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाकर मेरे अंश की राशि निम्नलिखित पते पर लौटाने का कष्ट किया जावे।

पता:–

....

....

....

3. निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र संलग्न है।

संलग्नः– शपथपत्र 1

2. शपथपत्र

3. फोटो परिचय पत्र/निवास संबंधी दस्तावेजों की प्रति

भवदीय

हस्ताक्षर....................................

स्थान...

दिनांक..

मो.नं.– ....

उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला–भोपाल

संस्था की सदस्यता से त्यागपत्र हेतु शपथपत्र का प्रारूप

(नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

शपथ-पत्र

1. नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. पूर्ण पता : ....
4. व्यवसाय : ....
5. आयु : ....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि:–

1. मैं .... गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल का सदस्य हूँ, मेरा सदस्यता नम्बर .... है।

2. यह कि मैं संस्था की सदस्यता से त्यागपत्र हेतु आवेदन दे रहा हूँ। सदस्यता समाप्ति के आवेदन में उल्लेखित सभी बाते सही है।
मैं यह त्यागपत्र स्वेच्छा से निम्नलिखित कारणों से दे रहा हूँ:–
कारण..
....

स्थान:–

दिनांक:–

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा क्रमांक–1 से 2 तक उल्लेखित विवरण मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कोई गलत तथ्य नहीं है।

स्थान:–
दिनांक:–

शपथकर्ता

गृह निर्माण सहकारी संस्था की आदर्श उपविधियां अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव पारित करने संबंधी विवरण

1. उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(1) के अंतर्गत जारी अध्यापेक्षा का पत्र कमांक एवं दिनांक ....

2. अध्यापेक्षा जारी करने के दिनांक पर कार्यरत संचालक मण्डलः–

क्रमांक	संचालक का नाम	पद	पता	मोबाईल न.	हस्ताक्षर
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					

3. संचालक मण्डल मे निर्णय लेने का दिनांक ....

4. संस्था द्वारा उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें, को निर्णय से सूचित करने का दिनांक..

5. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें द्वारा संस्था की सूचना पत्र निर्णय लेने का दिनांक... ....

6. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें द्वारा अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत उपविधियां पंजीकृत करने का दिनांक ....

स्थानः–
दिनांकः–

उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, जिला.............